भारत में की स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं और वकीलों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल

विषय वस्त्

प्रस्तावना	3
परिचय और समीक्षा	4
मॉड्यूल I: भारत में धार्मिक स्वतंत्रता	
भाग 1. भारत में धार्मिक स्वतन्त्रता	6
भाग 2. महिलाएं और धार्मिक स्वतन्त्रता	12
भाग 3. दलित और धार्मिक स्वतन्त्रता	16
मॉड्यूल II: धार्मिक स्वतन्त्रता का कानूनी ढाँचा	
भाग 1. संविधान और धार्मिक स्वतन्त्रता	20
भाग 2. धर्मांतरण विरोधी कान्न	29
भाग 3. भारतीय दण्ड संहिता	33
मॉड्यूल III: धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानूनी संसाधन	
भाग 1. दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शिकायत तंत्र	37
भाग 2. अर्ध-न्यायिक निकाय	43
भाग 3. पीड़ित का म्आवज़ा	54
मॉड्यूल IV: धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों की वकालत	
भाग 1. मानवाधिकार उल्लंघन संहिता का दस्तावेज़ीकरण	58
भाग 2: मीडिया को शामिल करना	61
प्रशिक्षण का मल्यांकन	65

प्रस्तावना

"भारत में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता" नामक यह प्रशिक्षण मॉड्यूल, धर्म और आस्था की मौलिक स्वतंत्रता पर किसी व्यक्ति की समझ को और गहरा करने के लिए बनाया गया है।

सम्मिलित विषय

भारतीय दर्शकों के लिए लिखे गए इस प्रशिक्षण मैनुअल में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बन्धित मुद्दों को शामिल किया गया है। इसकी विषय-वस्तु वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बने विशेषज्ञों के ऐसे समूह के सुझावों पर आधारित है जिन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों में मुकद्दमेबाज़ी और सवाल-जवाब करने का कई वर्षों का अनुभव प्राप्त है।

यह देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्वतंत्रता पर होने वाले हमलों और विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा अनुभव किए जा रहे दबावों की विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है, और साथ ही साथ यह अन्य कमजोर समुदायों जैसे महिलाओं, दिलतों, और आदिवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी नज़र डालता है।

इस मैनुअल में "धर्मांतरण विरोधी" कानून और भारतीय दण्ड संहिता के नाम से प्रचलित कानूनों के तहत आने वाले विभिन्न कानूनी प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तारी, जमानत, आपराधिक -शिकायतें दर्ज करने से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं की सम्पूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण रूप से, यह प्रशिक्षण भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उपलब्ध विभिन्न संवैधानिक स्रक्षा उपायों के बारे में बात करता है।

इस मैनुअल का उपयोग मानवाधिकार रक्षकों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की विभिन्न सम्भावित घटनाओं के विरुद्ध व्यावहारिक रूप से प्रतिक्रिया करने हेत् सक्षम बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

मॉड्यूल्स और सत्रों की रुपरेखा

इस सम्पूर्ण प्रशिक्षण - मैनुअल को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें धार्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित चार व्यापक पहलू शामिल हैं। मॉड्यूल के भीतर के प्रत्येक सत्र को सर्वप्रथम प्रशिक्षक द्वारा किसी विशिष्ट विषय का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने हेतु बनाया गया है। इसके बाद इन विषयों पर समूहों में विचार विमर्श किया जाता है, जहाँ प्रतिभागियों को विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने और कल्पित स्थितियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने विचारों को चमकाने और उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षाओं को आत्मसात करने का अवसर देना है। यह हमें एक-दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रत्येक सत्र में प्रशिक्षक और प्रतिभागियों के लिए विषय की गहराई में जाने हेतु अतिरिक्त वीडियो और पाठ्य संसाधन प्रदान किए गए हैं।

इन मॉड्यूल्स का उपयोग स्वतंत्र संसाधनों के रूप में या धार्मिक स्वतंत्रता पर विस्तृत प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के रूप में किया जा सकता है। इन्हें अन्य मानवाधिकार मामलों पर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स में भी शामिल किया जा सकता है। संदर्भ के लिए एक-दिवसीय प्रशिक्षण या दो-दिवसीय प्रशिक्षण की संभावित समय-सारणी उपलब्ध है।

हम मॉड्यूल्स को बेहतर बनाने के लिए सुझावों और टिप्पणियों की विनती करते हैं।

सीखते रहिए! तहमीना अरोड़ा

परिचय और समीक्षा

सत्र की रूपरेखा

1. स्वागत और परिचय



प्रशिक्षक को सभा में प्रतिभागियों का स्वागत करना चाहिए और कार्यक्रम की रूपरेखा को संक्षेप में समझाना चाहिए (रूपरेखा के लिए विषय-सूची देखें)। इसके बाद, प्रशिक्षक को नीचे दी गई मुख्य बिंदुओं को सम्बोधित करना चाहिए। प्रशिक्षक को इस बात पर जोर देना चाहिए कि यह प्रशिक्षण कानूनी ढांचे पर केंद्रित है और इसे कानून व्यवस्था को दृढ़ बनाने में सहयोग करने के लिए बनाया गया है।

- 1. संसार भर में धार्मिक समुदायों के विरुद्ध सरकारी प्रतिबंधों तथा सामाजिक शत्रुता में आई वृद्धि।
- 2. ऐसे बहुत से लोग हैं जो धार्मिक समुदायों को एक समस्या के रूप में देखते हैं और अन्य ऐसे लोग हैं जो धार्मिक समुदायों को एक समाधान के रूप में देखते हैं।
- 3. इस प्रशिक्षण का आधार यह है कि यदि संवैधानिक ढांचे का सही ढंग से पालन किया जाए, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा को बढावा देगा।
- 4. इस प्रशिक्षण का निर्माण आपको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराने, भारत में जहाँ इसे तुच्छ समझा गया उन घटनाओं पर दृष्टि डालने, और आपको संसाधनों से लैस करने हेत् किया गया है ताकि आप इस महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के संरक्षकों के रूप में कार्य सकें।
- 5. यह प्रशिक्षण धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में लगे लोगों के लिए बनाया गया है जो यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक प्रतिभागी के पास थोड़ा-बहुत व्यक्तिगत अनुभव और कौशल होता है, जिससे अन्य प्रतिभागियों को लाभ होगा।

2. कार्य-पद्धति और बुनियादी नियम



प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को यह याद दिलाना चाहिए कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य एक दूसरे से सीखना है और सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान कुछ ब्नियादी नियमों का पालन करना चाहिए।

- 1. एकदूसरे का सम्मान करें।-
- 2. आवंटित समय का ध्यान रखें।
- 3. सक्रिय होकर स्नने का दृष्टिकोण अपनाएं।
- 4. चर्चा के दौरान साझा की गई जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करें और बिना अनुमित विशिष्ट घटनाओं या नामों को साझा न करें।

3. सामूहिक - अभ्यास



प्रतिभागियों को समान आकार के समूहों में बाँट दें। इस खंड में, प्रतिभागी स्वयं को एक-दूसरे से परिचित कराएंगे और प्रशिक्षण के प्रति अपनी-अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट करेंगे। इस अभ्यास में - प्रतिभागी अपना-अपना संक्षिप्त परिचय देंगे और हर प्रतिभागी 3 मिनट से भी कम समय में इस कार्यक्रम के विषय में उनकी अपेक्षाएं साझा करेंगे।

कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रतिभागियों से पूछे जा जा सकते हैं:

- 1. इस कार्यक्रम से वे क्या प्राप्त करने की आशा रखते हैं?
- 2. धार्मिक स्वतन्त्रता के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता से अन्य प्रतिभागी किस प्रकार लाभान्वित होंगे?

मॉड्यूल ।

भारत में धार्मिक स्वतन्त्रता

भाग 1: भारत में धार्मिक स्वतंत्रता

इस सत्र में, आप धार्मिक स्वतंत्रता और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप भारत में इस स्वतंत्रता के उल्लंघन को पहचानना सीखेंगे, इसके विरुद्ध सामान्य खतरों की पहचान करेंगे और इस तरह के अतिक्रमण के कुछ अंतर्निहित कारणों या कारकों को समझेंगे।

1. शिक्षा के उद्देश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. भारत में धार्मिक समुदायों द्वारा अनुभव की जा रही हिंसा की आवृत्ति और गम्भीरता को पहचानना।
- 2. धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा अनुभव की जा रही हिंसा और भेदभाव के विभिन्न प्रकारों या श्रेणियों को समझना।
- 3. कानून या सरकारी कार्यवाही की निष्क्रियता से उपजे अतिक्रमणों को समझना।

2. प्रस्तुतिकरण के लिए मुख्य बिंद्



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामृहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- प्रत्येक व्यक्ति के पास धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है—िकसी धर्म या आस्था का होना या न होना—िक वह इन दोनों चीजों को निजी तथा सार्वजनिक रूप से प्रकट कर सके ।
- 2. भारत में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय प्रदान किए गए हैं और इसमें विवेक की स्वतंत्रता और एक व्यक्ति के अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, उसका प्रचार और प्रसार करने का अधिकार शामिल हैं।
- 3. हिंसक हमले बार-बार होने वाली घटनाएं हैं और सामान्य हैं
 - a. एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक विविधता के बावजूद, भारत में धार्मिक पहचान के आधार पर अक्सर हिंसा होती रही है।

b. कोई भी धार्मिक समुदाय हिंसक हमलों से बचा नहीं है, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अक्सर इस प्रकार की हिंसा की चपेट में आते हैं।

4. अन्भव किए जाने वाले बैरभाव के प्रकार:

a. धार्मिक समुदायों के विरुद्ध भेदभाव या हिंसा, द्वेषपूर्ण मनगढ़ंत कहानियों से लेकर हिंसात्मक हमलों के विस्तृत रूप में लगातार जारी है।

b. प्रतीकात्मक हिंसा

- i. धार्मिक हिंसा में कभी कभी प्रतीकात्मक हिंसा-भी शामिल होती है जैसे कि "लव जिहाद," या ट्रिपल तलाक जैसे विषयों पर मनगढ़ंत कहानियों का निर्माण करना, धर्मांतरण की तुलना आतंकवाद से करना इत्यादि।
- ii. इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियाँ पूरे समुदाय को बदनाम करती हैं और एक ऐसा माहौल बना देती हैं जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, बिना किसी दण्ड के भय से, हिंसा हो सकती है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ जो विशेष धार्मिक समुदायों को निशाना बनती हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं, वे ऐसे समुदायों की ओर ले जाती हैं जिन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और परिणामस्वरूप उन समुदायों को रूढ़िवादी समझा जाने लगता है। इसके कारण, भेदभावपूर्ण कार्यों में वृद्धि होती है जिनसे हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है।

c. शारीरिक हिंसा

- गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत में 2004 से 2017 तक सांप्रदायिक हिंसा की
 10,399 घटनाएं ह्ई, जिसमें 1,605 लोग मारे गए और 30,723 घायल हुए।
- ii. 2019-2014 से, विश्वास आधारित मानवाधिकार संगठनों ने पिछले पाँच वर्षों में अकेले ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध 1,400 से अधिक घटनाओं को दर्ज किया। 2019 में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) ने हिंसा की 328 घटनाएं दर्ज कीं, जबिक इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (ईएफआई) ने 366 घटनाएं दर्ज की। 2020 में, यूसीएफ ने नवंबर 2020 के अंत तक ईसाइयों के विरुद्ध हिंसा और द्वेष की लगभग 250 घटनाओं को दर्ज किया।
- iii. क्विल फाउंडेशन ने 2014 से लेकर 2019 तक हिंसा की 1049 घटनाओं की सूचना दी, जिनमें से ज्यादातर सूचित घटनाएं मुसलमानों के साथ उनकी धार्मिक आस्थाओं और पहचान के कारण घटित हुई थीं। अकेले 2019, में हिंसा की 223 घटनाओं की सूचना दर्ज की गई थी, जो मुख्य तौर पर मुसलमानों के विरुद्ध हुई थीं। इनमें से कम से कम 35 मामलों में, एक मुसलमान व्यक्ति पर "जय श्री राम" जयघोष का उच्चारण न करने के कारण शारीरिक रूप से हमला किया गया था, यह ऐसा हिन्दू मंत्रोच्चार है जो हाल के वर्षों में हिन्दू राष्ट्रवाद से जुड़ गया है।
- iv. धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाली हिंसा और घटनाओं में शामिल हैं:
 (1) धार्मिक नेताओं और सदस्यों के विरुद्ध शारीरिक और मौखिक हमले; (2)
 आराधना स्थलों को क्षिति पहुंचाना और अपवित्र करना, जिनमें आगजनी समेत;
 (3) प्रार्थना सभाओं में बाधा उत्पन्न करना और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध

- लगाना; (4) जबरदस्ती या धोखे से धार्मिक धर्म परिवर्तन करने के झूठे आरोप लगाना; (5) जबरन या विवशतापूर्ण घर वापसी समारोह ("घर वापसी" समारोह गैर-हिंदूओं के लिए किए जाते हैं जिनमें वे हिन्दू धर्म में धर्मांतरण करते हैं) (6) धार्मिक अल्पसंख्यकों को आराधना स्थलों को स्थापित करने और चलाने की अनुमति देने से इनकार करना शामिल हैं।
- ए. हिंसा के अलावा, आमतौर पर अल्पसंख्यकों को पीड़ित करने के लिए सामाजिक बिहण्कार का उपयोग एक रणनीति के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों और सेवाओं जैसे कि पानी और बिजली की पहुंच से वंचित करना और साथ ही साथ रोजगार से वंचित करना है, जिससे उनमें अस्रक्षा की भावना बढ़ जाती है।

d. संरचनात्मक हिंसा

- हिंसा भारत में दिखाई देने वाले धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों का एकलौता रूप नहीं है बल्कि कुछ कानूनी तंत्रों में पसरे भेदभाव ने भी अल्पसंख्यकों को हानि पहुंचाई है।
- ंं. कुछ विवादास्पद कानून जो हाल ही में लागू किए गए हैं, उनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम और विभिन्न राज्यों में लागू किए गए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम शामिल हैं।

iii. नागरिकता संशोधन अधिनियम

- 1. पड़ोसी देशों से भाग कर आने वाले शरणार्थियों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने का आधार प्रदान करता है।
- परन्तु इस कानून में केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान के ऐसे अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं।
- यह अधिनियम विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव करता है और मुसलमान, यहूदी, इत्यादि शरणार्थियों को सुरक्षा देने से इनकार करता है।
- 4. विधेयक के "स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स (आपितयों और कारणों का कथन)" (एसओआर) में कहा गया है कि भारत में अफगानिस्तान, पािकस्तान और बांग्लादेश जैसे धर्म आधािरत देशों से लोगों का ऐतिहासिक रूप से प्रवास हुआ है। इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों ने अपने धर्म के कारण धार्मिक उत्पीइन का सामना किया है। एसओआर तर्क देता है कि अविभाजित भारत के लाखों नागरिक पािकस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो उन देशों को सूची में शामिल किए जाने का आधार है जहाँ से शरणािर्थियों को स्वीकार किया जाना है। हालाँिक, उक्त सूची में अफगािनस्तान को शािमल करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

- 5. इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि इन देशों के प्रवासियों और अन्य पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका (जिसका राज्य धर्म बौद्ध धर्म है) और म्यांमार (जो बौद्ध धर्म को प्रधानता देता है) से आने वाले प्रवासियों से अलग क्यों रखा गया है। श्रीलंका में भाषाई अल्पसंख्यक तमिल ईलमों के उत्पीड़न का इतिहास रहा है। इसी तरह, म्यांमार में ऐतिहासिक रूप से रोहिंग्या मुसलमानों को जो वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उन्हें सताया गया है, और चीन में काचिन और करेन ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों उत्पीड़न होता रहा है। वर्षों से, तमिल ईलम, रोहिंग्या मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक अपने-अपने देशों में उत्पीड़न से भाग रहे हैं और आकर भारत में शरण मांगते हैं।
- 6. धर्मांतरण विरोधी कानून या धर्मांतरण को विनियमित करने वाले दिशानिर्देश:
 - इन्हें काफी लंबे समय से भारत के कई राज्यों में लागू किया
 जा रहा है, और ये अब 10 राज्यों में क्रियाशील हैं, और ये
 किसी व्यक्ति के धर्मांतरण को विनियमित करते हैं।
 - इस कान्न के अंतर्गत जरूरी है कि व्यक्ति प्रत्येक धर्मांतरण से पहले अधिकारियों को सूचित करे और ऐसा करने में विफल होने पर उसे दंडित किया जाए।
 - यह कानून जबरदस्ती, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण करने वाले को दंडित भी करता है, लेकिन इसमें इन शर्तों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है, इस कारण इन कानूनों के मनमाने ढंग से प्रयोग में लाया जाता है।
 - हालाँकि, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमों में, बलपूर्वक पिछले धर्म में "पुनः-धर्मातरण" किए जाने पर दण्ड का प्रावधान नहीं है, यह कानून में मौजूद स्पष्ट पक्षपात को दर्शाता है।
 - इस तरह के संदिग्ध कानून किसी व्यक्ति के धार्मिक आस्थाओं को बदलने के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं और धर्म की स्वतंत्रता पर भयानक प्रभाव डालते हैं।

e. हिंसा के पीछे के कारक:

- हिंसा के पीछे के मुख्य कारक हैं राजनीतिक दबाव और दंगाई भीड़ जुटाना,
 पक्षपाती मीडिया जैसी कमजोर संस्थाएं, भ्रष्ट अधिकारी और न्याय से समझौता करनेवाली न्यायपालिका।
- ii. ठेस, संदेह और गलतफहमी की अंतर्निहित भावनाएं भी हिंसा और भेदभाव की आग को भड़काने का काम करती हैं।
- iii. शोधकर्ताओं का सुझाव है कि राजनीतिक लाभ ऐसा प्रमुख कारण है जिसके कारण हिंसा होती रहती है, इसका दण्ड नहीं मिलता और यहाँ तक कि हिंसा करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाता है। शोधकर्ताओं को पता चला है कि

- कुछ राजनीतिक दलों के लिए दंगे चुनावी लाभ हेतु राजनीतिक रूप से लाभदायक हो सकते हैं, जिसके कारण सरकारें अक्सर ऐसे दंगों को बिना-रोक टोक के होने देती हैं।
- iv. शोध यह संकेत भी देता है कि दंगे या मारकाट, जैसा अक्सर दिखाया जाता है, भीड़ का तत्काल रोष का कारण होने के बजाय कुछ व्यक्तियों के सुविचारित और संगठित कार्यों का परिणाम होते हैं।

3. साम्हिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जटिल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा कल्पित स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तृत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेतु प्रश्न:

- 1. साम्प्रदायिक सद्भाव/झगड़ों के विषय में आपके पास कौन से अन्भव या यादें हैं?
- 2. आपको क्यों लगता है कि भारत में धर्म के आधार पर हिंसा या भेदभाव होता है?
- इस तरह की हिंसा को रोकने या भड़काने में आप मीडिया/सोशल मीडिया को कौन सी भूमिका निभाते हुए देखते हैं?
- 4. क्या पीड़ित का धर्म सरकार, मीडिया या आम जनता के अलग व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है?
- 5. अहमद दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में एक मकान किराए पर लेना चाहता है। घर के मालिक सिंह ने अहमद को अपना घर किराए पर देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह एक मुसलमान है। अहमद को क्या करना चाहिए? क्या मकान मालिक का अपने पसंद के व्यक्ति को घर किराए पर देना अनुचित है?
- 6. मीरा ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर लेती है। उसका पित और उसका पिरवार चाहते हैं कि वह दुर्गा पूजा के लिए मंदिर में जाए। क्या मीरा के सस्राल वालों की मांग अन्चित है? मीरा को क्या करना चाहिए?
- 7. उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत, जिला प्राधिकरण ने लिलता को ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने की अनुमित देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें संदेह है कि उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया गया था। लिलता ऐसे किसी भी प्रलोभन से इनकार करती है। चर्चा करें।
- मोहम्मद को स्थानीय राशन की दुकान में प्रवेश की अनुमित से पहले "भारत माता की जय" चिल्लाने के लिए कहा जाता है। चर्चा करें।

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढ़ें:

USCIRF Annual Report, India Chapter 2020 (English / Hindi)

देखें:

- i. Hounded But Not Hateful उत्पीड़न के प्रति एक मुस्लिम महिला की प्रतिक्रिया
- ii. Exiled But Hopeful: एक कश्मीरी हिंदू का घर वापसी का संकल्प

मॉड्यूल I

भारत में धार्मिक स्वतन्त्रता

भाग 2: महिलाएं और धार्मिक स्वतंत्रता

इस सत्र में, आप देखेंगे कि महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक समुदायों के अधिकारों में अक्सर टकराव होता है। परिणामस्वरूप, धार्मिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित करने के बहाने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है।

1. शिक्षा के उद्देश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. महिलाओं के विरुद्ध धार्मिक उत्पीड़न को समझना।
- 2. उन क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ महिलाओं के अधिकारों को धार्मिक समुदाय के हितों से टकराव माना जाता है।
- 3. महिलाओं की गरिमा के अधिकार और एक समुदाय की धार्मिक प्रथाओं के पालन के अधिकार के बीच परस्पर प्रभाव की जाँच करना।

2. प्रस्तुतिकरण के लिए मुख्य बिंदु



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामृहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. मिहलाओं जिस उत्पीइन का सामना करती हैं उसे या तो छिपाया जाता है या फिर यह दर्शाया जाता है कि यह धार्मिक कारणों से प्रेरित नहीं है। हालाँकि, यह देखा गया है कि विभिन्न धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर मिहलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक पीड़ित हैं। ओपन डोर इंटरनेशनल द्वारा 2020 की लिंग-विशिष्ट धार्मिक उत्पीड़न रिपोर्ट के अनुसार मिहलाओं के विरुद्ध धार्मिक उत्पीड़न में यौन हिंसा, जबरन विवाह, घर में कैद रखना और शारीरिक हिंसा शामिल है।
- 2. महिलाओं को अक्सर पारिवारिक इकाई में धार्मिक परंपराओं के वाहक के रूप में देखा जाता है और वे अपने बच्चों में धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालाँकि, सामान्य तौर पर महिलाओं को धार्मिक सम्दायों के भीतर नेतृत्व के पदों पर नहीं देखा जाता है।
- 3. अक्सर, धर्म को महिलाओं के अधिकारों के हनन के आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है, इसमें इस तरह की प्रथाएं होती है जैसे कि लिंग-चयनात्मक गर्भपात, बाल विवाह, महिला जननांग विकृति, दहेज-सम्बन्धी हिंसा, जबरन विवाह, सम्मान रक्षा हेत् हत्या, संपत्ति अधिकारों को देने से मना करना, इत्यादि।

- अन्य कारक जैसे निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति, साक्षरता की कमी, पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं ऐसे हनन में योगदान देती हैं।
- 4. दुनिया भर के कई देशों ने महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति, वेशभूषा और महिलाओं के साथ बातचीत को प्रतिबंधित करने या नियंत्रित करने के लिए अपने निजी अधिकरण-सम्बन्धी नियम/कानून तैयार किए हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में महिलाओं के सार्वजनिक रूप से बुरका या हिजाब में दिखाई देने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबिक ईरान और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों में महिलाओं को कानून या सामाजिक रीति-रिवाज से बुरका या हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में कानून का खामियाजा भ्गतने वाली महिलाओं की राय कोई मायने नहीं रखती।
- 5. महिलाएं दूसरा धर्म अपनाने या धार्मिक समुदायों की वेशभूषा व भोजन आदतों को अपनाने में असफल रहने या विवाह के लिए अपने साथी का चुनाव करने के कारण धमिकयों, जबरन विवाह, और सम्मान रक्षा हेतु हत्या के रूप में परिवार के सदस्यों की ओर से शत्रुता का सामना भी करती हैं।
- 6. सांप्रदायिक झगड़ों में महिलाएं सबसे अधिक प्रताड़ित पीड़ितों में होती हैं क्योंकि उन्हें अपने समुदायों के सम्मान का वाहक समझा जाता है और इसलिए, महिलाओं पर हमला पूरे समुदाय की बदनामी करने के समान है।
- 7. इसके साथ ही महिलाओं के पास पुरुषों जैसी सहायता-प्रणाली भी नहीं होती, विशेषकर जब वे यौन हिंसा की पीड़ित हो सकती हैं। अक्सर, पुरुष यह तय करते हैं कि महिलाओं को अपने साथ हुई हिंसा की सूचना कब और कैसे देनी है।
- 8. जिन महिलाओं ने इस तरह की हिंसा का अनुभव किया है उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा सकता है, जिसमें उनके साथ हुई हिंसा का दोषी उन्हें ही ठहराया जाता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि वह महिला खुद को बहिष्कृत समझे और उसे लगे कि वह अब किसी के पास नहीं जा सकती। ऐसी संकटग्रस्त महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी तंत्र भी अक्सर अपर्याप्त होता है। कई बार, महिलाओं की सहायता के मामले में न्यायालयों के दृष्टिकोण में भी दया की कमी होती है।
- 9. मिहलाएं जिस दूसरी जिटल प्रवृत्ति का अनुभव करती है वह यह है कि जैसे-जैसे धार्मिक समुदायों का उत्पीड़न बढ़ता है, समुदाय और अधिक अपने भीतर झांकने लगते हैं और कठोर और रूढ़िवादी बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब भारत में मुसलमानों के विरुद्ध हिंसक हमलों में उग्रता और तेज़ी आई, तो न्यायालयों में विशेष रूप से तीन तलाक या मुस्लिम महिलाओं के वितीय रखरखाव के सुधार आंदोलन को झटका लगा, क्योंकि समुदाय की ओर से राज्य के साथ मिलकर चलने की अनिच्छा जाहिर की गई थी, जिसे शत्रुता के रूप में देखा गया।
- 10.यह याद रखना जरूरी है कि धर्म या आस्था की स्वतंत्रता धार्मिक परंपराओं, या धर्मों की आलोचना के विरुद्ध ढाल नहीं है, और न ही यह धार्मिक समुदायों के सदस्यों को आलोचनात्मक सवालों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं। और यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं की समानता, आदर और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए।

3. सामृहिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जिटल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा किल्पत स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेतु प्रश्न:

- 1. क्या आप कुछ ऐसी हानिकारक प्रथाओं का नाम बता सकते हैं जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं परंतु धार्मिक परंपरा कहकर उनका बचाव किया जाता है?
- 2. महिलाओं के अधिकारों तथा धार्मिक परंपराओं से टकराव की स्थिति में सरकार को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या भूमिका निभानी चाहिए?
- 3. जब राज्य यह निर्धारित करता है कि कौन सी धार्मिक प्रथा सुरक्षा के लायक है तो सम्भावित खतरे क्या होते हैं? इन खतरों को कैसे कम किया जा सकता है?
- 4. हाल ही में भारत में अंतर-धर्म विवाह अत्यधिक विवादास्पद बन गया है? आप इस घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं?
- 5. मोनिका ने हाल ही में हिंदू धर्म में धर्मपरिवर्तन किया है लेकिन उसका पित अब उसे तलाक की धमकी दे रहा है। मोनिका को क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मोनिका का पित उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रहा है?
- 6. आयशा एक प्रोफेसर है जो एक कॉलेज में पढ़ाती है, जहाँ वह आमतौर पर हिजाब पहनती है। कॉलेज ने उसे सूचित किया है कि अगर वह कॉलेज में पढ़ाना जारी रखना चाहती है तो उसे हिजाब नहीं पहनना चाहिए। यदि आप आयशा के स्थान पर होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? क्या अन्य प्रोफेसरों और छात्रों की अपनी धार्मिक पहचान का प्रदर्शन करने की इच्छा की मांगों के द्वारा कॉलेज प्रबंधन को विवश किया जा सकता है?
- 7. अमीना स्थानीय दरगाह में इबादत करना चाहती है लेकिन उसे सूचना मिलती है कि वह जींस पहनकर वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती और इसके बजाय उसे कुर्ता या साड़ी पहननी चाहिए और अपना सिर ढकना चाहिए। चर्चा करें।
- 8. पूजा को अपने पड़ोस के गिरजाघर में जाना पसंद है, लेकिन जब उसके परिवार को पता चलता है तो वे उसके साथ मारपीट करते हैं और घंटों तक शौचालय में बंद करके रखते हैं। चर्चा करें। अगर पूजा नाबालिग होती तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता?
- 9. एक नाबालिग लड़की, रीता (हिंदू) सुनील (ईसाई) नाम के व्यक्ति पर मोहित हो जाती है। वे भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। रीता भी ईसाई धर्म में धर्मपरिवर्तन कर लेती है। रीता की उम्र 17 साल है और सुनील की उम्र 45 साल है। चर्चा करें। अगर रीता 18 साल की होती तो क्या आपका उत्तर भिन्न होता?

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढ़ें:

- i. महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की <u>रिपोर</u>्ट
- ii. <u>महिलाओं और धार्मिक स्वतंत्रता</u> पर USCIRF की रिपोर्ट

देखें:

- i. Hounded But Not Hateful: उत्पीड़न के प्रति एक मुस्लिम महिला की प्रतिक्रिया
- ii. Exiled But Hopeful: एक कश्मीरी हिंदू का घर वापसी का संकल्प

मॉड्यूल ।

भारत में धार्मिक स्वतन्त्रता

भाग 3: दलित और धार्मिक स्वतन्त्रता

इस सत्र में, आप देखेंगे कि दलितों और धार्मिक समुदायों के अधिकारों में अक्सर टकराव होता है, और परिणामस्वरूप धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण के बहाने दलितों को अपने अधिकारों का हनन सहना पडता है।

1. शिक्षा के उददेश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. दलित सम्दायों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले कानूनी ढाँचे की समझ का निर्माण करना।
- 2. दलित समुदायों द्वारा अनुभव किए जाने वाले धार्मिक स्वतंत्रता के हनन की समझ को गहरा करना।
- 3. दिलतों की गरिमा के अधिकार और एक समुदाय के कुछ निश्चित पारंपरिक प्रथाओं के पालन के अधिकार के बीच परस्पर प्रभाव की जाँच करना।

2. प्रस्त्तिकरण के लिए म्ख्य बिंद्



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ, विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामूहिक क्रियाकलापों हेतु कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. यह याद रखना जरूरी है कि धर्म या आस्था की स्वतंत्रता, धार्मिक परंपराओं या धर्मों की आलोचना के विरुद्ध ढाल नहीं है, और न ही यह धार्मिक समुदायों के सदस्यों को आलोचनात्मक सवालों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं। और यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक परंपराओं के नाम पर दलितों के समानता, सम्मान और स्वतंत्रता के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
- 2. भारत के बीस करोड़ दलित, जिन्हें जाति अनुक्रम में सबसे नीचे समझा जाता था, विभिन्न धार्मिक परंपराओं का अभ्यास करते हैं।
- 3. कठोर जाति व्यवस्था के कारण दिलतों ने सिंदयों तक हिंसा और भेदभाव का सामना किया है, और उन पर इस पर भी प्रतिबंध थे कि वे अपने धर्म का अभ्यास कैसे करें, और उन्हें पूजा स्थलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
- 4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि दलित अपने धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक अभ्यास कर सकें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की प्रथा पर रोक लगा दी गई और अनुच्छेद 25 (2) के तहत यह घोषित किया गया कि एक धर्म के सब लोगों की सभी धार्मिक स्थानों तक समान रूप से पहुँच होनी चाहिए।
- 5. हिंसा और बैरभाव : अंतर-धार्मिक मतभेद
 - a. दलितों को वर्तमान समय में भी अत्यधिक हिंसा और बैरभाव का सामना करना पड़ रहा है।

b. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2020 तक, 2019 में अनुसूचित जाति (SC) के लोगों के विरुद्ध लगभग 46,000 अपराध हुए थे। 2018 की तुलना में 2019 में एससी (SC) लोगों के विरुद्ध अपराध में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लगभग 46,000 मामले दर्ज किए गए, उत्तर प्रदेश में इस तरह के सर्वाधिक 11,829 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि एससी/एसटी (SC/ST) अत्याचार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अपराधों में सजा की दर सिर्फ 32% थी और लंबित मामलों की दर 94% से भी अधिक थी।

6. मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध:

- a. हिंसा के अलावा, दिलतों का अपने धर्म के अभ्यास में भी भेदभाव का सामना करना जारी है। मीडिया की रिपोर्ट्स लगातार ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं जहाँ पर दिलतों को मंदिरों में या जिन सार्वजिनक स्थानों पर पूजा होती है वहाँ प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है। दिलतों को अक्सर धार्मिक सभाओं या मंदिरों में पुजारी के रूप में कार्य करने से भी रोका जाता है। यह ऐसे कानूनों के बावजूद होता है जो इस तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए लागू किए गए हैं।
- b. हिंदू मंदिरों में पुजारियों की वंशागत नियुक्ति ने दिलतों को पुजारी के पद पर अधिकार जताने से रोक दिया है। हिंदू मंदिरों के प्रशासन और प्रबंधन से सम्बन्धित कई मामलों में इस प्रथा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दरिकनार किया गया है।

7. दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

- a. दिलत महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा और शारीरिक हमले भी सामान्य रूप से जारी हैं। औसतन हर दिन कम से कम 10 दिलत महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, और भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में दिलत महिलाओं की बलात्कार के प्रति संवेदनशीलता 44% तक बढ़ गई है।
- b. इसके अलावा, कई धार्मिक प्रथाएं दलित महिलाओं को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में जोगिनी प्रथा आज भी जारी है। यह सदियों पुरानी प्रथा है जिसमें धार्मिक आस्था के तौर पर 12 साल तक की छोटी लड़िकयों का जो ज्यादातर हाशिये पर रह रहे दलित समुदायों से होती हैं विवाह गाँव के स्थानीय देवता से करवाया जाता है। उनके परिवार ज्यादातर अत्यधिक गरीब होते हैं, जिनका मानना है कि इस अनुष्ठान से देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर उनके जीवनों में सुधार लाएंगे।
- एक आती दिनों में, एक जोगिनी जिसे 'देवदासी' के रूप में भी जाना जाता है और मंदिर की संपित समझ जाता था, और उसका मुख्य कर्तव्य मंदिर से संबंधित सांस्कृतिक गितविधियों में शामिल होना था। बाद की सिदयों में, इस प्रथा ने पूरी तरह से विकृत रूप ले लिया, और जोगिनियों को मंदिरों के संरक्षकों तथा गाँवों के मुखियाओं इत्यादि की यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इस प्रथा के आगामी रूप में देखा गया कि इन महिलाओं को उनके गाँव के हर पुरुष की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक और तिमलनाडु में भी इसी तरह की प्रथा का अभ्यास किया जाता है।

8. 1950 का राष्ट्रपति आदेश

a. 1950 में, भारत के राष्ट्रपित ने एक आदेश पारित किया, जिसमें यह पहचान करने का प्रयास किया गया था कि भारत में कौन सी जातियाँ आरक्षण या सरकारी नीतियों और कानून की विशेष सुरक्षाओं को पाने के योग्य होंगी। जातियों की गणना की अनुसूची के आधार पर, इन दिलत जातियों को अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाता है।

- b. हालाँकि, 1950 के राष्ट्रपति के आदेश में यह भी कहा गया था कि, "ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू नहीं है उसे अनुसूचित जातियों का सदस्य न माना जाए।" बाद में, इस अनुसूची में सिखों (1956) और बौद्धों (1990) को शामिल करने के लिए इस आदेश में संशोधन किया गया था।
- इस अनुसूची में दिलत ईसाइयों और दिलत मुसलमानों को शामिल करने के समर्थन में किए गए बारम्बार प्रयासों के बावजूद, इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- d. इस आदेश के परिणामस्वरूप दलितों को दूसरे धर्म में धर्मपरिवर्तन करने के कारण दंडित किया जाता है। उन्हें उन लाओं और सुरक्षा से वंचित कर दिया जाता है, पर यदि वे हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में बने रहेंगे तो उन्हें इन अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
- 9. धर्मांतरण विरोधी कानून (भाग ।। में इस विषय पर विस्तृत सत्र उपलब्ध है)
 - a. धर्मांतरण विरोधी कानून लोगों को दूसरे धर्म में कैसे और कब धर्मपरिवर्तन करना है पर प्रतिबंध लगाते हैं।
 - b. इस कानून के अनुसार हर धर्मांतरण की सूचना देना और जिला अधिकारियों के द्वारा उसकी जाँच करना जरूरी है।
 - c. इस कानून के विभिन्न प्रावधानों का पालन में असफल होने पर दण्ड प्रावधानों के अनुसार दण्ड दिया जाता है
 - d. यदि "धर्मांतरण करने वाला" व्यक्ति दलित, महिला या नाबालिग हो तो प्रावधान और भी कड़े हो जाते हैं।
 - e. ये कानून दिलतों के धर्मांतरण को नियंत्रित करने का प्रयास भी हैं, जिन्हें अपनी धार्मिक आस्थाओं के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने के अयोग्य समझा जाता है। यह कानून उन्हें ऐसे लोगों के रूप में चित्रित करता है जिनमें स्वतंत्र विचार के लिए अभिकर्तृत्व या क्षमता की अत्यधिक कमी होती है।

3. सामूहिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जटिल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा कल्पित स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया

चर्चा हेतु प्रश्न:

- 1. आज भारत में अस्पृश्यता का अभ्यास कैसे किया जाता है?
- 2. जाति व्यवस्था को कौन सी चीज स्थिर रखती है? कानून द्वारा इनमें से किन पहलुओं को नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जा सकता है?
- 3. आस्था की स्वतंत्रता असीमित अधिकार है। क्या कानून मेरे विचारों पर नियंत्रण कर सकता है? क्या कानून का लागू किया जाना मेरे मन से पक्षपात को दूर कर सकता है?
- 4. डॉ. अंबेडकर का प्रसिद्ध कथन है, "मैं हिन्दू जन्मा था, परंतु मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूँगा।" धर्मांतरण दिलतों के लिए महत्वपूर्ण अधिकार क्यों है?
- 5. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या सरकार को एक मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए? व्यक्तियों के अधिकारों बनाम समुदायों के अधिकारों के संतुलन में राज्य को क्या भूमिका निभानी चाहिए?

- 6. कुमार एक धर्मनिष्ठ हिंदू है और पुजारी बनना चाहता है। वह दिलत है इसिलए उसे इसिकी अनुमित देने से इनकार कर दिया जाता है। क्या मंदिर का प्रबंधन अपने उन धर्मग्रंथों पर भरोसा करके अनुचित कार्य कर रहा है जिनमें एक प्जारी को नियुक्त करने के तरीके पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं?
- 7. मीरा एक दिलत ईसाई है और अंबेडकर कालोनी में अन्य दिलत परिवारों के साथ रहती है। वह दिलत महिलाओं के लिए अंबेडकर योजना के तहत सिलाई मशीन के लिए आवेदन करती है। उसे ईसाई होने के कारण मना कर दिया जाता है। चर्चा करें।
- 8. जयंत एक दिलत हिंदू है जिसने इस्लाम में धर्मपरिवर्तन कर लिया है। उसका बेटा राजा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से स्थानीय चुनाव लड़ना चाहता है। राजा हिन्दू धर्म में धर्मपरिवर्तन कर लेता है लेकिन उसे दिलत के रूप में चुनाव लड़ने के उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। चर्चा करें।
- 9. जय एक ईसाई है। उसे गाँव की पंचायत के द्वारा बताया जाता है कि वह गाँव के तालाब का उपयोग नहीं कर सकता और उसे कुएं से पानी निकालने की अनुमित नहीं दी जाएगी क्योंकि वह गाँव के धर्म और संस्कृति का पालन नहीं करता, और इस कारण गाँव के सामान्य संसाधनों तक उसकी पहुँच नहीं होगी। चर्चा करें।

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढें:

i. <u>भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के द्वारा सामना की जाने वाली संवैधानिक और कानूनी चुनौतियाँ</u> (USCIRF 2017)

देखें

- i. <u>भारतीय दलित</u>
- ii. <u>भारत के दलित मुसलमान</u>

मॉड्यूल II

धार्मिक स्वतंत्रता का कान्नी ढाँचा

भाग 1: संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता

इस मॉड्यूल में, आप सीखेंगे कि भारत के संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे गई है। आप समझेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू क्या हैं और उन पर कौन-कौन से कानूनी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

1. शिक्षा के उद्देश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. भारत के संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की मुख्य सुरक्षाओं की समझ का निर्माण करना।
- 2. धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था की सुरक्षा हेतु भारत के संविधान के तहत उपलब्ध उपायों की गहन समझ विकसित करना।

2. प्रस्तृतिकरण के लिए मुख्य बिन्द्



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामृहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. भारत के संविधान के कई अनुच्छेद यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत में सभी व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक धर्म का पालन करने, धर्म को अपनाने, और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 एक धार्मिक सम्प्रदाय को स्वयं को संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के अधिकारों की रक्षा करता है।
- 2. इनके अलावा, संविधान में अन्य प्रावधान भी दिए गये हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एक व्यक्ति की धार्मिक पहचान भेदभाव का आधार न बने, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 15 के तहत केवल धार्मिक पहचान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना, और अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक नौकरियों में सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर प्रदान कराना।

- 3. संविधान यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि राज्य को किसी धर्म के पक्षकार के रूप में न देखा जाए। अनुच्छेद 27 भारतीयों को किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर (या शुल्क) देने के लिए विवश किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही, अनुच्छेद 28 राज्य से वितीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों दवारा छात्रों को धर्म की शिक्षा दिए जाने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- 4. संविधान व्यक्तियों और समुदाय दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है।
 - a. व्यक्ति का अधिकार
 - i. अन्तःकरण की स्वतंत्रता और व्यक्ति को अपने धर्म को स्वीकार करने का अधिकार :
 - यह धार्मिक स्वतंत्रता का मुख्य पहलू है: संविधान अपने धर्म या आस्था को स्वतंत्रतापूर्वक अपनाने, उसमें बने रहने, बदलने या छोड़ने के अधिकार की रक्षा करता है।
 - अंतःकरण की स्वतंत्रता हमारी आंतिरक धारणाओं के बारे में हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, धार्मिक स्वतंत्रता के इस आयाम पर कोई सीमा नहीं हो सकती।
 - 3. इसमें किसी भी धार्मिक परंपरा पर विश्वास करना या उनमें से किसी पर भी विश्वास न करने का अधिकार शामिल है।
 - ii. व्यक्ति के अपने धर्म का अभ्यास करने का अधिकार:
 - संविधान हमें अपनी आस्थाओं के अनुसार कार्य करने के अधिकार की गारंटी भी देता है।
 - इसका मतलब है कि हमारे धर्म का एक बाहरी पहलू भी है अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का सार्वजनिक पहलू।
 - इसमें निश्चित धार्मिक परंपराओं में भाग लेने, निश्चित भोजन या वेशभूषा को अपनाने, या अपने धर्म के अनुसार जीने की योग्यता शामिल हो सकती है।
 - 4. धार्मिक स्वतंत्रता के इस पहलू को राज्य सीमित कर सकता है क्योंकि यह अधिकार सम्पूर्ण नहीं है।
 - iii. व्यक्ति के अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार:
 - संविधान दूसरों के साथ अपने धर्म को साझा करने के अधिकार की गारंटी भी देता है।
 - इसमें धार्मिक साहित्य का वितरण करने, तथा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने इत्यादि की योग्यता शामिल हो सकती है
 - 3. सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद निर्णय में कहा कि एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है परन्तु व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को धर्मांतरित करने का मौलिक अधिकार नहीं है। यह निर्णय समझने में मुश्किल है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करने के लिए क्या कर सकता है, इसकी सीमाओं को रेखांकित करना स्पष्ट रूप से मुश्किल है।

iv. व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा:

- 1. व्यक्ति का यह अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के भाग ।।। के तहत प्रदान किए गए अन्य सभी सम्बन्धित मौलिक अधिकारों की मांगों के दवारा संचालित किया जाता
- 2. हालाँकि, महत्वपूर्ण रूप से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके विपरीत राज्य के पास किसी भी धार्मिक प्रथा से ज्ड़ी हुई धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की शक्ति है।
- 3. राज्य पुराने जमाने की धार्मिक परंपराओं में सुधार करने या बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण के लिए कानून पारित कर सकता है। यह भारतीय संदर्भ में ही है कि राज्य, भारत के जाति आधारित भेदभाव के इतिहास का विरोध करते हुए हिंदू सार्वजनिक संस्थानों में सभी जाति और वर्गों के हिंदूओं को प्रवेश करने की अन्मति दे सकता है।

b. धार्मिक समुदायों के अधिकार

- i. एक धार्मिक सम्दाय को धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाएं चलाने, संपत्ति रखने या कानून के अनुसार अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का मौलिक अधिकार है।
- ii. हालाँकि, न्यायालयों ने कहा है कि सम्प्रदायों के अधिकारों का अभ्यास उन संवैधानिक स्रक्षाओं की अवहेलना नहीं कर सकता और न उन्हें व्यर्थ ठहरा सकता है जिन्हें उदार संविधान के व्यापक मूल्यों से पहचाना जाता है – उदाहरण के लिए, हिंदू मंदिरों में दलितों की निय्क्ति, केरल के सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म की आय् वाली महिलाओं का प्रवेश जो शायद धार्मिक सम्प्रदायों के दवारा पालन की जाने वाली पारंपरिक प्रथाओं के विरुद्ध हो सकता है।
- iii. किसी व्यक्ति के अधिकार के विपरीत एक संप्रदाय का अधिकार केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

3. साम्हिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जटिल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा कल्पित स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तृत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेतु प्रश्न :

1. आपका धर्म का अधिकार - व्यक्ति और धार्मिक सम्दाय के रूप में आपको कौन-कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करता है?

- 2. एक व्यक्ति के अपने धर्म या आस्था बदलने की योग्यता कितनी महत्वपूर्ण है? इस तरह की प्रक्रिया में राज्य को क्या भूमिका, यदि हो तो, निभानी चाहिए? एक बहु-धार्मिक समाज में राज्य को सांप्रदायिक शांति कैसे सुनिश्चित करनी चाहिए?
- 3. क्रिस्टोफर अपने घर में 20 लोगों की प्रार्थना सभा करता है। उसका पड़ोसी पुलिस को शिकायत कर देता है। ईसाइयों को प्रार्थना सभा बंद करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यदि सभा 200 लोगों की होती तो क्या आप का उत्तर भिन्न होता?
- 4. मिलक मुसलमान है और पुलिस सेवा में कार्यरत है। उसका वरिष्ठ अधिकारी उसे आदेश देता है कि वह या तो अपनी दाढ़ी कटा ले या निलंबित हो जाए। क्या मिलक को अपनी धार्मिक आस्थाओं के बदले में दाढ़ी रखने की अन्मित दी जानी चाहिए? प्लिस को अन्शासित स्रक्षा बल में समरूपता कैसे बनाए रखनी चाहिए।
- 5. राज एक ईसाई है ओर सशस्त्र बल में कार्यरत है। वह उन हिन्दू रीति-रिवाजों में भाग नहीं लेना चाहता, जिनका आयोजन उसकी बटालियन 100 वर्षों से अधिक समय से करती आ रही है। क्या राज को उसके धर्म को ध्यान में रखते हुए गैर-ईसाई रीति रिवाजों से छूट दी जानी चाहिए।
- 6. पूजा एक हिन्दू है और मंदिर में पुजारिन के रूप में कार्य करना चाहती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह पुजारिन नहीं बन सकती क्योंकि वह एक महिला है। यदि पूजा एक पुरुष और दलित होती तो क्या आपका उत्तर भिन्न होता?
- 7. रोहित का सम्बन्ध एक छोटे जीववादी आदिवासी समुदाय से है। यह समुदाय अपने गाँव में सिदयों से चली आ रही अपनी परंपराओं का पालन करता रहा है। रोहित ईसाई बन जाता है और स्थानीय देवता के सम्मान में गाँव में आयोजित दावतों में और अधिक भाग नहीं लेना चाहता। गाँव वाले रोहित से कहते हैं कि अब गाँव की संस्कृति, परंपराओं और धर्म में उसका कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसे गाँव छोड़ देना चाहिए। चर्चा करें।
- 8. अमित का सम्बन्ध ऐसे छोटे समुदाय से है, जिसमें स्थानीय देवता की उपस्थिति में 14 वर्ष में लड़िकयों की शादी करा दी जाती है। वह बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को चुनौती देना चाहता है, जिसमें लड़िकयों की शादी की उम्र की सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, क्योंकि उसे लगता है कि यह अनुच्छेद 25 और 26 के तहत उसके समुदाय के धार्मिक संस्कारों और परंपराओं पर हमला है। चर्चा करें।

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढ़ें:

- i. प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म या आस्था की स्वतंत्रता: <u>अंग्रेजी/ हिन्दी</u>
- ii. भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा <u>अंग्रेजी</u>/ <u>हिन्दी</u>

देखें:

i. धर्म या आस्था की स्वतंत्रता का परिचय : (अंग्रेजी / हिन्दी)

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

मौलिक अधिकारों को मूल मानवीय स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण और सही विकास का अधिकार है। यह अधिकार सभी नागरिको पर बराबर से लागू होता है चाहे वे किसी भी मूलवंश, धर्म, जाति, मत, रंग या लिंग का हो। इन अधिकारों का आधार इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन समेत अनेक स्रोतों में हैं। कुछ सीमाओं के साथ, इन मौलिक अधिकारों को कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है और इनकी रुपरेखा निम्नलिखत है:-

समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14 - 18

समानता का अधिकार, संविधान के भाग। के अनुच्छेद 14 - 18 के अधीन सुरक्षित किया गया है। संविधान के निर्माता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति होने वाले अन्याय के भयंकर रूप से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य ऐसी कानूनी व्यवस्था की स्थापना करना है जहाँ सभी नागरिकों को कानून के सामने समान रूप व्यवहार किया जाए।

कानून के समक्ष समानता: संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी एक समान होंगे। इसका अर्थ है कि देश के कानून दवारा सभी नागरिकों का समानता से संरक्षण किया जाएगा और कोई भी कानून से बड़ा नहीं है।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव से रोक: राज्य, राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं नहीं करेगा। परंतु, राज्य स्त्रियाँ और बच्चों के लिए विशेष छूट या प्रावधान बना सकता है।

सभी नागरिकों को सार्वजानिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता: सार्वजिनक रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेद भाव नहीं करेगा। परंतु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने विशेष प्रावधान है। अस्पृश्यता का अन्त: कानून के अंतर्गत अस्पृश्यता की प्रथा को एक दंडनीय अपराध घोषित कर किया गया है।

उपाधियों का अन्त: अंग्रेजों द्वारा दी सभी उपाधियों पर रोक लगा दी है। परंतु, जिन लोगों ने राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्री में विशिष्ट सेवा की है उन्हें राष्ट्रपति सैन्य या नागरिक सम्मान की उपाधियाँ दे सकता है।

स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 19 - 22

स्वतंत्रता, प्रत्येक जीवित प्राणी की हार्दिक इच्छा होती है। निश्चय ही मानव को स्वतंत्रता की जरूरत और चाहत रहती है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है।

संविधान के अनुच्छेद 19 में छह स्वतंत्रता दी गई हैं जो निम्नलिखत हैं:

- (क) वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- (ख) बिना हथियारों के शांतिपूर्वक रीति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता
- (ग) संस्था या संध बनाने की स्वतंत्रता
- (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता
- (ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता
- (च) किसी तरह का व्यवसाय करने या कोई कार्य, व्यापार या करोबार करने की स्वतंत्रता संविधान ने राज्य को विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रतिबंध लागू करने का अधिकार दिया है।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषिसद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने के समय जो उस समय अपराध के रूप परिभाषित न हो, उसके लिए अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही किसी व्यक्ति को उस समय के कानून के अनुसार निर्धारित सजा से अधिक सजा मिल सकती है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दण्डित नहीं किया जा सकता और न ही किसी को अपनी इच्छा के विरुद्ध गवाही देने पर मजबूर किया जा सकता।

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून दवारा निर्धारित प्रक्रिया के।

कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और रोके रखने से संरक्षण:

अनुच्छेद २२ में यह प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे शीघ्र अतिशीय गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए तथा उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने की अनुमित दी जाएगी। इसके अलावा, गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के अन्दर निकटतम मिजस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए सिवाय उस व्यक्ति के जो निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत गिरस्तार हुआ है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24

संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा नागरिको को शोषण के विस्ट अधिकार दिया गया है। यह दो प्रावधान यह है।

- 1. मानव तस्करी और बलात््रम पर प्रतिदन्धः मानव तस्करी और बेगार या किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिए बिना उसे काम करने के लिए मजबूर काना प्रतिबंधित किया गया है और इस प्रावधान का उल्लंघन अपराध होगा जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्यों में से एक यह था सभी नागरिकों को आस्था, विश्वास और आराधना की स्वतंत्रता है। भारत का अपना कोई अधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। परंतु यह सभी नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता देता है कि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म में विश्वास रखें और आराधना करे। स्वतंत्रता के अधिकार के सन्दर्भ में संविधान अनुच्छेद 25-28 के अन्तर्गत चार प्रावधान देता है।

(क) अन्तःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रताः सभी लोगों को अन्तःकरण की और धर्म को अबाप रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति को अपना धर्मान्तरण करने पर मजबूर कर सकता है।

ऊपर दिए गए सीमा बंधन के अलावा, राज्य को धर्म से सम्बन्धित आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक और अन्य धर्मिनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन करने की शक्ति दी गई है। जन व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ के आधार पर राज्य इस अधिकार पर रोक लगा सकती है।

- (ख) धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता: जन व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को इन बातों का अधिकार है (क) धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना या उनकी देख रेख करना, (ख) अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, (ग) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अर्जन करने का, और (घ) ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना।
- (ग) किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टेक्स की अदायगी की स्वतंत्रता: किसी भी व्यक्ति को ऐसे टेक्स की अदायगी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या देख रेख में व्यय करने के लिए नियोजित है।
- (घ) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता: (1) राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु यह उस शैक्षिक संस्था पर लागू नहीं होता जिसका प्रबंधन राज्य के द्वारा है परंतु वह किसी ऐसी ट्रस्ट के अधीन स्थापित है जो धार्मिक शिक्षा चाहती है, वहाँ ऐसी शिक्षा दी जाएगी। परंतु ऐसी संस्था में किसी भी व्यक्ति को वहाँ दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि अवयस्क है तो ऐसी गतिविधियों में उपस्थित रहने के लिए उनके संरक्षक की सहमित लेना अनिवार्य है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30

भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है जिसमें विभिन्न संस्कृतियाँ, लिपियाँ, भाषाएँ, और धर्म हैं। परंतु जनतंत्र में अकसर बहुसंख्यक का शासन होता है, इसलिए अल्पसंख्यक समूह के हित को सुरक्षित रखने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों के धर्म, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है तािक बहुसंख्यक शासन में अल्पसंख्यक उपेक्षित या कमजोर महसूस न करें। चूंिक लोग अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करते हैं, इसलिए मौलिक अधिकारों में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अध्याय को भी शािमल किया गया है। अनुच्छेद 29. 30 में दो मुख्य प्रावधान किए गए हैं।

अल्संख्यकों के हितों का संरक्षण: कोई भी अल्पसंख्यक समूह जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे यह बनाए रखने का अधिकार है।

राज्य दवारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार: धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्ग दवारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए कानून बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित कि रेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी रकम नियत की जाए कि उस धारा के आधीन वह अधिकार रह या निराकृत न हो जाए। शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के खिलाफ इस आधार पर भेद भाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है।

अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर के अल्पसंख्यक नहीं है। राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं।

संविधानिक समाधानों का अधिकार अनुच्छेद 32

चूंकि मौलिक अधिकार गारंटी के समान है, उन पर अमल होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मालिक अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध कोर्ट से सहायता लेने का अधिकार है।

कोई भी व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है जो मौलिक अधिकारी को लागू करने के निर्देश, ऑर्डर, या रिट जारी कर सकता है।

शिक्षा का अधिकार (RTE)

2002 में 86वैं संविधानिक संशोधन के द्वारा 21A हुए के नए अनुच्छेट से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में जोड़ा गया।

मूल कर्तव्य

प्रत्येक अधिकार के बदले समाज नागरिकों से कुछ बातो की अपेक्षा करते हैं जिन्हें कर्तव्य कहते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किया गया है। परंतु जहाँ मौलिक अधिकार कानूनी तौर से लागू होते हैं, मूल कर्तव्य कानूनी तौर से लागू नहीं होते। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर भी उसका समाधान कानून के कोर्ट में नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान ने इन दस कर्ता की सूची बनाई है।

- 1. भारत के संविधान में बने रहे और राष्ट्रीय संस्थानों तया प्रतीकों का सम्मान करें, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान आदि, मैं संजोए और उनका पालन करें;
- 2. आजादी के राष्ट्रीय आदालनी को प्रेरित करने वाले उच्च आदशी को
- 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें,
- 4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें;
- 5. भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और भाई चारे की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है:
- 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझ और उसे कायम रखें,
- 7. प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें उन, झील नदी, और वन्य प्राणी शामिल हैं, की रक्षा और उसका संवर्धन करें;
- 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, और ज्ञान और सुधार की भावना को विकसित करें,
- 9. सार्वजानिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा का इस्तेमाल न करे, और
- 10. व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता की और बढ़ने का प्रयास

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद के बाद इसमें इसके अलावा, एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक मातापिता - यासंरक्षक को यह कर्तव्य दिया गया कि वे अपने छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे या वाई को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

मॉड्यूल ॥

धार्मिक स्वतंत्रता का कानूनी ढाँचा

भाग 2: धर्मांतरण विरोधी कानून

यह सत्र भारत के विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की रूपरेखा प्रदान करता है। इस सत्र में अपनी धार्मिक आस्थाओं को बदलने वाले लोगों के सामने आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों पर, और जिस ढंग से ये कानून संवैधानिक प्रावधानों का सीधा विरोध करते हैं उन पर प्रकाश डाला गया है।

1. शिक्षा के उद्देश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. भारत के धर्मांतरण विरोधी कानूनों के प्रावधानों का आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषण करना।
- 2. अंतःकरण की स्वतंत्रता और मौलिक और बुनियादी मानव अधिकार के रूप में एक व्यक्ति के अपनी पसंद के धर्म में धर्मपरिवर्तन करने की स्वतंत्रता की गहन समझ विकसित करना।

2. प्रस्तुतिकरण के मुख्य बिंदु



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामूहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, जिन्हें आम तौर पर धर्मांतरण विरोधी कानूनों के रूप में जाना जाता है, इन्हें सबसे पहले 1960 में अधिनियमित किया गया था और वर्तमान में आठ राज्यों में लागू हैं ओडिशा (1967); मध्य प्रदेश (1968); छत्तीसगढ़ (2003); गुजरात (2008); उत्तराखंड (2017); झारखंड (2017); हिमाचल प्रदेश (2019); और उत्तर प्रदेश (2020)।
- 2. अरुणाचल प्रदेश में कानून को 1978 में अधिनियमित किया गया था, परंतु क्योंकि अब तक नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए कानून को लागू नहीं किया गया है। 2018 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने धर्मांतरणों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए।
- 3. धर्मांतरण विरोधी कानून जबरन, धोखे, लालच या प्रलोभन द्वारा धर्मपरिवर्तन करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास है। हालाँकि, अधिनियम में अधिनियमित अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण इनका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है।

- 4. कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में बलपूर्वक, बहकाकर, या अनुचित प्रभाव, लालच, विवाह, या प्रलोभन या अन्य किसी धोखाधड़ी से धर्मपरिवर्तन या धर्मपरिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही कोई व्यक्ति इस तरह के धर्मपरिवर्तन के लिए उकसाएगा।
- 5. सभी धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत जरूरी है कि धर्मपरिवर्तन करने वाला व्यक्ति या धर्मांतरित व्यक्ति के धार्मिक अनुष्ठान की देखरेख करने वाला व्यक्ति निर्धारित फार्म भरकर जिला अधिकारियों को सूचित करे। इसकी सूचना धर्मांतरण से पहले या कुछ मामलों में धर्मांतरण के बाद दी जा सकती है। कुछ राज्यों में, उस व्यक्ति या "धर्मांतरण अनुष्ठान" करने वाले धार्मिक पुरोहित को भी इस तरह के अनुष्ठान से पहले या धर्मांतरण के बाद सूचना भेजने की जरूरत पड़ती है।

6. कानूनों के तहत परिभाषाएं:

- बलपूर्वक को सभी कानूनों में लगभग "ईश्वरीय प्रकोप या सामाजिक बिहिष्कार समेत किसी भी प्रकार की चोट पह्ँचाने की धमकी" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- b. सभी कानूनों में "बहकाने या किसी भी अन्य धोखाधड़ी के हथकंडे" की उसी परिभाषा के साथ परस्पर ढंग से "धोखा" या "धोखाधड़ी" शब्दों का उपयोग किया गया है।
- c. तीन राज्यों में "प्रलोभन" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिसमें "या तो नकद या वस्तु रूप में किसी भी प्रकार की सुख-सुविधा का सामान, और इसके साथ ही आर्थिक या उसके अलावा अन्य कोई भी लाभ का अनुदान" शामिल है। अन्य चार राज्यों ने शब्द "लालच" का उपयोग किया है और इसे "(i) या तो नकद या वस्तु रुप में किसी भी प्रकार का कोई उपहार या सुख-सुविधा का सामान; (ii) किसी भी मौद्रिक या अन्य तरह के लाभ के अनुदान के रूप में किसी भी प्रलोभन का प्रस्ताव" के रूप में परिभाषित किया है
- d. उत्तराखंड के कानून में शब्द "लालच" को और भी विशिष्टता से परिभाषित किया: "लालच का मतलब है किसी प्रकार का प्रलोभन देना और इसमें शामिल है सुख सुविधा या भौतिक लाभ, या तो नकद या वस्तु रूप में या नौकरी, या किसी धार्मिक संस्था द्वारा चलाए जा रहे किसी विद्यालय में मुफ़्त शिक्षा, धन, बेहतर जीवनशैली, ईश्वरीय सुख या अन्य वस्तुएं।"
- e. उत्तराखंड के कानून ने कुछ अन्य शब्दों को भी परिभाषित किया है, जो अन्य सात राज्यों द्वारा पारित किए गए कानूनों में शामिल नहीं हैं। इन शब्दों में शामिल है "अनुचित प्रभाव," जिसका मतलब है "एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर बेईमानी से अपनी शक्ति या प्रभाव का इस्तेमाल करना ताकि दूसरा व्यक्ति उस तरह का प्रभाव डालने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य कर सके।" "धर्म" को विश्वास, आस्था, पूजा और जीवनशैली की संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा भारत या उसके किसी भी भाग में प्रचलित है, और कुछ समय के लिए कार्यान्वित किसी भी कानून या रीति-रिवाज के तहत परिभाषित है। "धार्मिक पुरोहित" को किसी भी धर्म के पुरोहित के रूप में परिभाषित किया गया है जो शुद्धिकरण संस्कार या धर्मांतरण अनुष्ठान करता है चाहे उसे ऐसे किसी भी नाम से क्यों न बुलाया जाता हो जैसे पुजारी, पंडित, मुल्ला, मौलवी, फादर इत्यादि।
- 7. कुछ कानून, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा प्रख्यापित कानून, "मूल धर्म" में "पुनः धर्मांतरण" को धर्मपरिवर्तन नहीं मानते।
- 8. अंतर-धर्म दंपतियों के विरुद्ध नए निशाने के रूप में विवाह

- a. कुछ कानूनों में दो धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करवाने पर दण्ड का प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिनमें विवाह से पहले या बाद में, एक प्रष या तो खुद धर्म परिवर्तन करता है या महिला का धर्म परिवर्तन करवाता है।
- b. यह कानून अपने धर्म से अलग धर्म के किसी व्यक्ति से विवाह करना की इच्छा रखने वाले लोगों या और इससे जुड़े हुए किसी भी धर्म परिवर्तन के मामले में रुकावट पैदा करेगा।

9. दांडिक प्रावधान

- कानून के उल्लंघन के दण्ड के रूप में एक से चार साल की सजा और अधिनियम के उल्लंघन के लिए
 एक लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल होगा, यह राज्य पर निर्भर करता है।
- b. धर्मांतरण विरोधी कानून में यदि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में धर्मपरिवर्तन करने के अपने इरादे की सूचना देने में विफल होता है तो वह कारावास या जुर्माने के दण्ड योग्य अपराध माना जाता है। उत्तराखंड ने इससे भी आगे जाकर इसे गैर-जमानती अपराध बना दिया है। यह बात उस व्यक्ति को और भी डरा देती है जिसे कानून बलपूर्वक और धोखाधड़ी से धर्मपरिवर्तन से बचाने की इच्छा रखता है।

10. इन कानूनों और धर्म परिवर्तन के विषय में कुछ चिंताएं :

- व. एक सामान्य गलतफहमी यह है कि लोग भौतिक लाभों के लिए धर्मपरिवर्तन करते हैं। इस तरह के आरोप धार्मिक अल्पसंख्यकों पर होने वाले लगातार हमलों का कारण हैं और ये धर्मांतरण विरोधी कानूनों के लागू किए जाने का कारण भी हैं। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आर्थिक लाभ के लिए धर्मपरिवर्तन किया है अपने धर्म के लिए ऐसे गम्भीर शारीरिक हमलों और सामाजिक बैर सहने के लिए क्यों तैयार होगा, जिससे धर्मपरिवर्तन करने वाले अक्सर ग्जरते हैं?
- b. यह कानून अपना धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करते हैं और प्रत्येक धर्मपरिवर्तन को जिला प्रशासन के जाँच के दायरे में लाते हैं।
- धर्म या आस्था की स्वतंत्रता के विषय पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदक ने कहा है, "धर्मांतरण धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की परीक्षा है।"
- d. ऐसी अस्पष्ट शर्तों के कारण यह कानून ट्यक्ति के धर्म का प्रचार करने के अधिकार की सुरक्षा करने में असफल है और इस कारण लोग अपने धर्म का प्रचार करने में संकोच करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह गैरकानूनी है।
- e. कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बढ़ती हुई हिंसा का कारण हैं।

3. सामूहिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जिटल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा किल्पत स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेतु प्रश्न:

- 1. अधिकांश कानूनों के तहत धर्मपरिवर्तन अनुष्ठान से पहले जिला प्रशासन की मंजूरी लिया जाना आवश्यक है। क्या आप इस आवश्यकता से सहमत हैं? क्या सरकार द्वारा धर्मांतरणों निगरानी से समाज में शांति बनी रहेगी और साम्प्रदायिक तनावों से बचा जा सकेगा?
- 2. धर्मपरिवर्तन करने वाले पुरुष/महिला को अपने धर्म परिवर्तन में क्या भूमिका निभानी पड़ती हैं? क्या धर्मपरिवर्तन भौतिक कार्य है या मानसिक? यदि यह दोनों हैं, तो पहले क्या आता है?
- 3. धर्मपरिवर्तन कराने वाला व्यक्ति कौन होता है? क्या आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए? यदि हाँ, तो वे प्रतिबंध क्या हैं?
- 4. कुमार अपने मित्र से उपहार में मिली बाइबल पढ़ता है और यीशु से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। क्या कुमार का धर्मपरिवर्तन हो चुका है? धर्मपरिवर्तन कब श्रू होता है और कब पूरा होता है?
- 5. एक मुस्लिम लड़की, मिरयम, सुनील से प्रेम करती है और वे कुछ महीनों में विवाह करने की योजना बनाते हैं। मिरयम हिन्दू धर्म अपनाना चाहती है क्योंकि वह सुनील के धर्म से प्रभावित है। क्या आपको मिरयम के निर्णय से आपित है? यदि मिरयम का धर्म पिरवर्तन उनके विवाह के लिए सुनील द्वारा तय की गई शर्त पर होता तो क्या आपका उत्तर भिन्न होता?
- 6. राज गुजरात का दिलत है और वह बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है। वह प्रशासन को अपने निर्णय के बारे में बताने में असफल हो जाता है। राज को क्या करना चाहिए? यदि वह एक नास्तिक बन जाए तो क्या आपका उत्तर इससे कुछ भिन्न होगा?
- 7. पिंकी स्थानीय मस्जिद में जाने लगती है और अपने घर में कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। उसका पड़ोसी पुलिस में शिकायत करता है कि उसका जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। पिंकी को इसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या पड़ोसी की सतर्कता के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
- 8. रीटा एक आदिवासी ईसाई है, और उसका गाँव एक प्रस्ताव पारित करता है कि कोई भी व्यक्ति रीटा से बात नहीं करेगा और जब तक वह आदिवासी धर्म को फिर से न अपना ले तब तक उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा। रीटा के विकल्पों पर चर्चा करें। अपनी आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थानीय गाँव को क्या कदम उठाने चाहिए।

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हैतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढें:

i. <u>State Anti-Conversion Laws in India</u> (कॉग्रेस लाइब्रेरी, 2017)

देखें:

- i. Freedom of Religion or "Anti-conversion" laws
- ii. The Right to Have or Change Religion or Belief

मॉड्यूल ॥

धार्मिक स्वतंत्रता का कानूनी ढाँचा

भाग 3: भारतीय दण्ड संहिता

यह सत्र भारतीय दण्ड संहिता के तहत आने वाले ऐसे विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा प्रदान करता है जो धर्म से सम्बन्धित हैं और इसके साथ ही उन व्यवहारिक समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है जिनका सामना लोगों को उस समय करना पड़ता है जब इन प्रावधानों के तहत उन पर आरोप लगाएं जाते हैं और यहाँ तक कि जब वे इन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करने का प्रयास कर रहे होते हैं।

1. शिक्षा के उद्देश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों को समझना और यह भी समझना कि इन प्रावधानों के तहत आने वाले उल्लंघनों या आरोपों का प्रत्युत्तर कैसे दिया जाए।
- 2. कानून के विभिन्न संघटकों की गहन समझ विकसित करना ताकि इन प्रावधानों के तहत अधिक सावधानी से शिकायतें दर्ज की जा सकें।

2. प्रस्त्तिकरण के लिए म्ख्य बिन्द्



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामृहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. भारतीय दण्ड संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं जो एक व्यक्ति की धार्मिक आस्थाओं का हनन करने पर दंडित करते हैं।
- 2. किसी भी आपराधिक कार्य के लिए, अपराध के दो पहलू होते हैं : पहला, इसमें मंशा होनी चाहिए; दूसरा, इसमें कार्य होना चाहिए।
- 3. मंशा का अनुमान मामले से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्ष्य से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोध में हथियार लिए हुए अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए निकला, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह लड़ाई में हथियार का उपयोग करने की मंशा रखता था। यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति सीमा से अत्यधिक तेज गति से गाड़ी चला रहा था, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वह लापरवाही कर रहा था।
- 4. दूसरा पहलू है कार्य। यदि मेरी मंशा है परंतु मैं उस पर कार्य न करूँ तो कोई अपराध नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपने पड़ोसी के घर हथियार लेकर गया और फिर हथियार का उपयोग किए बिना या लड़ाई में शामिल

- हुए बिना घर के बाहर खड़ा रहा, तो कोई अपराध नहीं होगा। हालाँकि, यदि व्यक्ति लड़ने लगता है और शायद उस हथियार का उपयोग भी करता है, तब अपराध हो जाता है।
- 5. भारतीय दण्ड संहिता ऐसे कई कार्यों को दंडित करती है, जिनका लक्ष्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, समुदाय के बीच में शत्रुता की को बढ़ावा देना और धार्मिक स्थानों या प्रतीकों का अपमान करना है।
- 6. विधानमंडल की मंशा सभी कार्यों को शामिल करना नहीं बल्कि केवल उन कार्यों को शामिल करना था जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं।
- 7. भारतीय दण्ड संहिता के इस भाग में प्रम्ख खंड हैं धारा 153A, 295, 295A, 296, 297, और 298
- 8. धारा 153A: धारा 295A के समान, धारा 153A धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, आवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों में शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भावना बनाए रखने के विरुद्ध पूर्वाग्रह से कार्य करने को दंडित करती है।
 - a. धारा 153Aके विभिन्न घटक है:
 - b. जो कोई भी शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा या दृश्यात्मक चिन्हों या अन्य चीजों के द्वारा, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या ऐसी किसी अन्य चीज के आधार पर विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या ब्री-मंशा को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है या
 - c. कोई ऐसा कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या समुदायों के बीच सद्भावना को बनाए रखने के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित है और जिस कार्य से सार्वजनिक शांति बाधित होती है या होने की सम्भावना है, [या]
 - d. ऐसे किसी भी अभ्यास, आंदोलन, ड्रिल या उसके जैसी किसी भी गतिविधि का आयोजन इस मंशा से करता है कि उस गतिविधि में भाग लेने वाले प्रतिभागी आपराधिक ताकत या हिंसा का प्रयोग करें या उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए या वह जानता हो कि इस तरह की गतिविधि में भाग लेने वाले प्रतिभागी संभावित रूप से किसी भी धार्मिक नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक ताकत या हिंसा का प्रयोग करेंगे या उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और इस तरह की किसी गतिविधि से किसी भी कारण उस धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, और क्षेत्रीय समूह, या जाति, या समुदाय के सदस्यों के बीच भय, या घबराहट, या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की सम्भावना है,]
 - e. दांडिक प्रावधान: कैद जिसकी अविध तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों।
- 9. धारा 295: यह किसी समुदाय के पूजा स्थल या उनके द्वारा पवित्र समझे जाने वाली किसी वस्तु को नष्ट करने या अशुद्ध करने के कार्य को दंडित करती है।
 - इस धारा में कहा गया है, "जो कोई भी व्यक्तियों के किसी वर्ग के पूजा स्थल या उनके द्वारा पिवत्र समझी जाने वाली किसी वस्तु को उस धर्म का अपमान करने की मंशा से नष्ट करता है, क्षिति पहुंचाता है या अशुद्ध करता है।"
 - b. दांडिक प्रावधान: कैद जिसकी अविध को दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों।
- 10. धारा 295A: धारा 295 के समान, धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किए गए कार्य को दंडित करती है जिसकी मंशा धार्मिक भावनाओं को भड़काना है।
 - यह धारा ऐसे किसी भी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किए गए कार्य का अपराधीकरण करती
 है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके उनकी धार्मिक

भावनाओं को भड़काना है, और यह धारा उस हर व्यक्ति दंडित करती है "जो, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा से भारत के किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा भड़काता है, या दृश्यात्मक चिन्हों या अन्य चीजों के द्वारा उस वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है।"

b. दांडिक प्रावधान: कैद जिसकी अविध तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों।

11. धारा 296

- a. मुख्य घटक: किसी भी विधिपूर्वक धार्मिक पूजा, या धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल लोगों की सभा में स्वेच्छा से बाधा उत्पन्न करना।
- b. दांडिक प्रावधान: या तो किसी निर्धारित अविध तक कैद जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों।

12. धारा 297

- व. मुख्य घटक: किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाने की मंशा, किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करना, या यह जानकर कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुँचने की सम्भावना, या किसी व्यक्ति के धर्म के अपमान की सम्भावना, किसी भी पूजा स्थल या कब्रिस्तान, या अंतिम संस्कार अनुष्ठान या मृत व्यक्तियों के अवशेषों को जमा करने के रूप में अलग किए गए स्थान में अतिक्रमण करना, या किसी मृत मानव शरीर के साथ अभद्रता का व्यवहार करना, या अंतिम संस्कार के अनुष्ठानों के लिए एकत्र हुए लोगों को परेशान करना।
- b. दांडिक प्रावधान: या तो किसी निर्धारित अविध तक कैद जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों।

13. धारा 298

- a. धारा 298, सोची समझी मंशा से किसी व्यक्ति की भावना को चोट पहुँचाने के लिए शब्दों, इत्यादि के उच्चारण को दंडित करती है।
- b. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाने के इरादे से किसी शब्द का उच्चारण करता है या उस व्यक्ति के सुनते हुए कोई ध्वनि उत्पन्न करता है या उस व्यक्ति के देखते हुए कोई इशारा करता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई वस्तु रखता है।
- c. दांडिक प्रावधान: या तो किसी निर्धारित अविध तक कैद जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों।
- 14. इन प्रावधानों के बारे में एक चिंता यह है कि इन्हें परिभाषित करना और साबित करना अक्सर कठिन होता है। अक्सर प्रश्न का उत्तर देकर यह आँका जाता है कि क्या कोई तर्कशील व्यक्ति इन कार्यों या शब्दों से आहत या परेशान होगा?
- 15. अक्सर धार्मिक विषयों पर आधारित गतिविधियों या बहस को बंद करने के लिए समूहों द्वारा इन धाराओं का दुरुपयोग किया जाता है।
- 16. अभी-अभी जो कुछ सिखाया गया है उसके प्रकाश में, देखें कि प्रतिभागी इस पॉप क्विज़ का उत्तर दे सकते हैं या नहीं। उन्हें यह जाँचना है कि क्या नीचे वर्णित स्थिति भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करती है:
 - मोहित ऐसे समूह का भाग है जो मस्जिद की दीवारों पर "जय श्री राम" लिखता है।
 - b. इमरान स्थानीय पुजारी की अनुमित से मस्जिद मंदिर के भीतर नमाज़ अदा करता है। यदि पुजारी को यह पता नहीं होता कि इमरान यह करने वाला है तो क्या आपका उत्तर भिन्न होता?

c. जॉन बाजार में लोगों के समूह को बताता है कि सभी मूर्तियाँ मानव-निर्मित और बेकार हैं।

3. साम्हिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जिटल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा कल्पित स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेत् प्रश्न:

- 3. आप इन शब्दों को कैसे परिभाषित करते हैं, क्रोध, चोट, बैर-भाव, अतिक्रमण, धमकाना/धमिकयाँ, बाधा डालने का षड्यन्त्र जो परिणामस्वरूप धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाती है? क्या इन शब्दों को परिभाषित करना आसान था?
- 2. इस कथन "धर्मों के अधिकार नहीं होते, परंत् लोगों के होते हैं" पर टिप्पणी करें।
- 3. आप समुदायों की धार्मिक भावनाओं को भड़काए बिना, उन सामाजिक प्रथाओं में सुधार कैसे लाएंगे, या उन प्रथाओं की आलोचना कैसे करेंगे, जिनकी नींव धार्मिक परंपराओं में है। (प्रस्तुतकर्ता के लिए टिप्पणी: उदाहरण के लिए, सती प्रथा का उन्मूलन, लिंग भेदभाव, अंधविश्वास, इत्यादि)
- 4. हम श्रोता को ठेस पहुँचाए बिना, धर्म या धार्मिक प्रथाओं पर स्वस्थ चर्चाएं करने के लिए कौन से मापदंड अपना सकते हैं।
- 5. आपके अपने धर्म या सांस्कृतिक परंपराओं में से किन प्रथाओं को अन्य धर्मों की परंपराओं के अनादर के रूप में देखा जा सकता है?
- 6. कुमार कुछ पुराने कागज जला रहा है और उनमें बाइबल भी शामिल है। कुमार, बिना सोचे-समझे बाइबल जला देता है। क्या इसके लिए कुमार पर मुकद्दमा होना चाहिए?
- 7. अजय क्रिस्टोफर एक सामाजिक प्रभावशील व्यक्ति है और अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए वह राम के कपड़े पहन लेता है। इससे कई व्यक्तियों को ठेस पहुँचती हैं जो इस कृत्य के लिए राज को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। राज को कहाँ पर सीमा रेखा खींचनी चाहिए थी? क्या वे व्यक्ति अति-संवेदनशील बन रहे हैं?

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढें:

i. <u>भारत के ईशनिंदा कानूनों को समझना</u>

देखें:

i. वीडियो: Introduction of Blasphemy Laws under the Indian Penal Code, ADF भारत

मॉड्यूल III

धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कान्नी संसाधन

भाग 1: दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शिकायत तंत्र

यह सत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आने वाले विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा प्रदान करता है जिनका सम्बन्ध शिकायतें दर्ज करने और गिरफ्तारियों से है। यह सत्र शिकायतें दर्ज करने की सर्वोत्तम पद्धतियों से सम्बन्धित है और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की खोज करनेवाले के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

1. शिक्षा के उद्देश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और शिकायत का मसौदा तैयार करते समय याद रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारकों के विषय में समझ को बढ़ाना।
- 2. अपराध के लिए गिरफ्तार किए जा रहे आरोपी व्यक्ति के अधिकारों की बेहतर समझ विकसित करना।
- 3. महिलाओं और बच्चों के लिए कानून के तहत उपलब्ध सुरक्षा के उपायों को जानना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्लिस के द्वारा कोई शोषण न हो।

2. प्रस्तुतिकरण के लिए मुख्य बिन्दु



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामहिक क्रियाकलापों हेत कछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. दण्ड प्रक्रिया संहिता और विभिन्न न्यायालयों के निर्णय पुलिस द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज करते समय, लोगों को गिरफ्तार करते समय, और साथ ही महिलाओं और बच्चों से व्यवहार करते समय, उनकी प्रक्रिया और कर्तव्यों की रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- 2. "पुलिस के कानूनी कर्तव्य," नामक पर्चा इस सत्र के संदर्भ का काम करेगा। प्रशिक्षक को दस्तावेज की समीक्षा करनी चाहिए और वह उसमें वर्णित क्छ म्ख्य बिंद्ओं पर प्रकाश डाल सकता है।

3. सामूहिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जटिल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा कल्पित स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तृत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेतु प्रश्न:

- 1. गिरफ्तार होना डरावना अनुभव है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पुलिस के साथ अपने कुछ अनुभव साझा करें?
- 2. आपके विचार कौन से चीज अधिक महत्वपूर्ण है, पीड़ित का इलाज करवाना या शिकायत दर्ज करना?
- 3. शिकायत कितनी शीघ्र दर्ज करनी चाहिए? तत्काल, कुछ घंटों बाद, एक दिन बाद? शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के वैध कारण क्या हो सकते हैं?
- 4. जब पुलिस अशिष्ट, असंवेदनशील व्यवहार करे और शिकायत दर्ज करने से मना करे तो आपको क्या करना चाहिए?
- 5. महिलाओं और बच्चों से व्यवहार करते समय प्लिस को किन विशेष स्रक्षाओं का पालन करना पड़ता है।
- 6. किनका और उसके तीन पुरुष मित्रों को नशीले पदार्थ रखने के अपराध में उनके घर से रात 11:00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें चार पुलिसवालों द्वारा पुलिस थाने ले जाया गया। चर्चा करें
- 7. संजय को चोरी के आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उससे अपराध कबूल करवाने के लिए उसे बुरी तरह पीटा। उसके कबूलनामें के आधार पर पुलिस ने उसके मित्र के घर से लूट का सामान बरामद कर लिया। पुलिस को पीड़ित की सहायता करने के लिए किस सीमा तक जाना चाहिए इस मामले में वे सब लोग जिन्हें संजय ने लूटा था?
- 8. मालिक जब आगरा से दिल्ली वापस आ रहा था, तो लोगों के एक समूह ने उस पर हमला किया। उसने दिल्ली पहुँचने तक इंतजार किया और फिर अपने घर के पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और उससे कहा कि वह शिकायत दर्ज कराने के लिए वापस आगरा जाए। मिलिक के पास क्या उपाय है? क्या उसके घर के पास के पुलिस थाने ने कानूनी ढंग से कार्यवाही की?
- 9. सुनील स्थानीय राजनेता का बेटा है। वह 16 वर्ष का है। सुनील को अंधाधुंध और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मीडिया ने समाचार पत्र में उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया। चर्चा करें।
- 10. सेल्वी पर शारीरिक हमला हुआ था और अपराधियों ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। यह घटना दिल्ली के खानपुर क्षेत्र में हुई थी, लेकिन उसे झज्जर क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। क्या झज्जर पुलिस इस विषय में कुछ कर सकती है?



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

4. अतिरिक्त संसाधन

पढ़ें :

- i. पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या हैं
- ii. कानूनी सहायता लेना: पुलिस और उसके कर्तव्य

देखें:

- i. <u>आरोपी के अधिकार</u>
- ii. <u>आपराधिक शिकायतें या प्राथमीकियाँ दर्ज करना</u>
- iii. ऑनलाइन पुलिस शिकायतें: English/ हिन्दी

पर्चा: पुलिस के कानूनी कर्तव्य

FIR दर्ज करते समय आपके लिए याद रखने योग्य बातें:

- कोई भी FIR दर्ज करा सकता है। आपको FIR दर्ज कराने के लिए अपराध का गवाह होने की जरूरत नहीं है।
 यदि आपको अपराध के बारे में पता चला है, तो यही पर्याप्त होगा।
- b) पुलिस का FIR दर्ज करने से मना करना गैर-कानूनी है। यदि ऐसी स्थिति आती है, तो अपनी शिकायत की प्रति पंजीकृत डाक या AD द्वारा पुलिस आयुक्त/ अधीक्षक को भेजें।
- c) FIR को लिखा जाना चाहिए, आपके उस पर हस्ताक्षर लेने से पहले उसे पढ़ा और समझाया जाना चाहिए।
- d) आप कैसे किसी भी पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं, जो आपके लिए सुविधाजनक हो। पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि FIR को अपराध के सबसे निकटतम उपयुक्त पुलिस थाने में भेजा जाए।
- e) अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए हमेशा FIR की प्रति की मांग करें। आपको उसकी मुफ़्त प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।
- f) आप पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को अपराध की सूचना फोन पर भी दे सकते हैं। इस तरह के मामलों में, पुलिस आपके व्यक्तिगत विवरण (जैसे कि नाम, उम्र, पता और फोन नम्बर) पूछेगी।

गिरफ़्तारी के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया:

- a) गिरफ़्तारी और पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मचारी को सटीक, प्रत्यक्ष और स्पष्ट पहचान पत्र और अपने पद सहित नाम के टैग पहनने चाहिए।
- b) आपको गिरफ़्तारी का कारणों, जमानत के अधिकार और साथ ही अपनी पसंद का वकील करने के अधिकार के बारे बताया जाना चाहिए।
- ट) गिरफ़्तारी के समय, पुलिस अधिकारी गिरफ़्तारी का ज्ञापन तैयार करे और इस तरह के ज्ञापन को कम से कम एक गवाह के द्वारा सत्यापित किया जाए, जो या तो परिवार का सदस्य हो सकता है या जिस स्थान पर गिरफ़्तारी हो रही है वहाँ का कोई सम्माननीय व्यक्ति हो सकता है। इस पर आपके हस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए और इस पर गिरफ्तारी का समय और तिथि भी लिखी होनी चाहिए।
- d) जब तक ज्ञापन को सत्यापित करने वाला गवाह खुद गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का ऐसा मित्र या रिश्तेदार न हो, तब तक व्यवहारिक रूप से जितना शीघ्र हो सके, आपके एक मित्र या रिश्तेदार या आपके किसी अन्य परिचित व्यक्ति या आपके कल्याण में दिलचस्पी रखने वाले किसी व्यक्ति को यह सूचना दी जानी चाहिए कि आप को गिरफ्तार किया जा रहा है और आप को किस स्थान पर हिरासत में रखा जा रहा है।
- e) सभी जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण-कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहाँ गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के द्वारा गिरफ्तारी के प्रभाव के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी से सम्बन्धित सभी जानकारियाँ और सभी गिरफ़्तार व्यक्तियों के हिरासत के स्थान की जानकारी की सूचना दी जानी चाहिए और नियंत्रण कक्ष में, इसे एक प्रत्यक्ष नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- f) गिरफ़्तारी के तुरंत बाद चिकित्सकीय जाँच की माँग करें। डॉक्टर को आपकी जाँच करनी चाहिए और सभी बड़ी या छोटी चोटों की जानकारी "निरीक्षण ज्ञापन" में रिकार्ड करनी चाहिए।
- g) उस निरीक्षण ज्ञापन पर आपके और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। केवल सटीकता से भरे गए ज्ञापन पर ही हस्ताक्षर करें और निरीक्षण ज्ञापन की प्रति की माँग करें।
- h) प्लिस हिरासत के हर 48 घंटे में आपकी चिकित्सकीय जाँच होनी चाहिए।
- i) अस्थिर स्वास्थ्य स्थितियों के मामले में चिकित्सकीय उपचार का आवेदन करें।

- l) आपको FIR, रिमांड आवेदन, आपके विरुद्ध दायर किए गए आरोप-पत्र की सुपाठ्य प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है और पुलिस को ये प्रतियां आपको मुफ़्त में प्रदान करनी चाहिए।
- m) यातना देना गैर-कॉनूनी है, यदि हिरासत के दौरॉन आपको पुलिस या जेल अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो निकटतम अवसर पर न्यायाधीश के समक्ष इसकी शिकायत करें और यदि सम्भव हो, तो चोट के कोई निशान भी दिखाएं।
- n) यदि यातना के बाद कबूलनामा लिया गया है, तो तुरंत न्यायाधीश को सूचित करें और पुलिस के सामने दिए गए बयान को वापस लें।
- o) यदि आप पुलिस हिरासत में हैं, तो आपको न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग करें।
- p) उपरोक्त, गिरफ़्तारी के ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड के लिए उनके पास भेजी जानी चाहिए।

पर्चा: पुलिस के कानूनी कर्तव्य

आवास की तलाशी:

- a) जब आपके आवास की तलाशी हो तो दो स्वतंत्र गवाहों (पंचों) को हमेशा उपस्थित होना चाहिए।
- b) जब्त की गई सामग्रियों की सटीक सूची तैयार की जानी चाहिए और तत्काल आपको दी जानी चाहिए।

कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार:

- a) यदि आप गरीब/महिला/एससी/एसटी हैं, तो आपको राज्य के खर्चे पर सक्षम वकील प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।
- b) प्लिस की प्छताछ के दौरान आपका वकील उपस्थित रह सकता है।
- c) हिरासत के दौरान आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है।

जमानत

- व) यदि आपको जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है, तो आप जमानत के हकदार हैं। पुलिस को तुरंत
 आपको जमानत पर रिहा करने के लिए कहें।
- b) यदि आपको गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है, तो आपको जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन करना होगा।
- c) जमानत के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक जरूरत पड़ेगी: राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, किराए की रसीद, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, इत्यादि।
- d) जमानत की राशि बह्त अधिक हो तो जमानत घटाने का आवेदन करें।
- e) यदि आप हिरासत में हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार पेश किए जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल न किया जाए तो आपको 10 साल से कम कैद के दंडनीय अपराधों में जमानत का अधिकार है।
- f) और जब मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार पेश किए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल न किया जाए तो आपको 10 साल से अधिक कैद के दंडनीय अपराधों में जमानत का अधिकार है।

महिलाओं की गिरफ़्तारी के समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

- a) सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले कोई गिरफ़्तारी नहीं।
- b) आपकी गिरफ़्तारी के समय एक महिला कांस्टेबल को उपस्थित होना चाहिए।
- c) आपकी शारीरिक रूप से तलाशी केवल महिला के द्वारा ली जा सकती है।
- d) चिकित्सकीय जाँच केवल महिला डॉक्टर की निगरानी में की जा सकती है।
- e) गिरफ्तार महिला को केवल महिला हवालात में बंद किया जाना चाहिए।
- f) जेल में प्रत्येक महिला कैदी की महीने में एक बार डॉक्टर के द्वारा जाँच की जानी चाहिए।
- g) महिला या नाबालिग लड़की गवाह को पुलिस थाने नहीं बुलाया जा सकता, पर उसके घर पर पूछताछ की जा सकती है।

जब व्यक्ति नाबालिग हो तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

- a) 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के मामले में अपराध के दिन, उसकी उम्र को दस्तावेजों से या चिकित्सकीय जाँच से सत्यापित किया जा सकता है।
- b) कोई रिमांड या हवालात नहीं, परंत् उन्हें बाल स्धार गृह भेजा जाना चाहिए।
- c) सभी जाँच शिकायत के 4 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। FIR और जाँच को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष 6 महीने में निपटाया जाना चाहिए। किशोर को कारावास या मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता।
- d) मीडिया किशोर की पहचान प्रकट नहीं कर सकता।

मॉड्यूल ।।।

धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काननी संसाधन

भाग 2: अर्ध-न्यायिक निकाय

यह सत्र धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का प्रत्युत्तर देने वाले विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकायों की रूपरेखा प्रदान करता है।

1. शिक्षा के उददेश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. अर्ध-न्यायिक निकाय कैसे कार्य करते हैं और ये धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसकी गहन समझ विकसित करना।
- 2. इस तरह के आयोगों के समक्ष शिकायत दर्ज करने के मुख्य घटकों को समझना।

2. प्रस्तुतिकरण के लिए मुख्य बिन्दु



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामृहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- संविधान के तहत मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तर्यों के अध्याय बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समूहों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का संतुलन प्रदान करते हैं और इसके अलावा ये समाज के संवेदनशील और कमजोर वर्गों की सुरक्षा करते हैं।
- इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, आयोग जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग — की स्थापना की गई है। इन आयोगों को अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं और ये पूछताछ और जाँच कर सकते हैं और सरकार को सुझाव प्रदान कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत की गई थी।

- 2. NHRC के कार्य: मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत स्थापित संगठन के कार्यों पर निम्निलिखित ढंग से प्रकाश डाला जा सकता है:
 - a. आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच कर सकता है और न्यायालय के अनुमोदन से उन न्यायिक कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है जिनमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।
 - b. यह राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी भी जेल या संस्थान के कैदियों की परिस्थितियों पर सरकार को स्झाव प्रदान कर सकता है।
 - c. यह संविधान या मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने किसी भी कानून के तहत सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों का सुझाव दे सकता है।
 - d. आयोग उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाएगा और नागरिक समाज को विकसित होने और मानव अधिकारों स्निश्चित करने की दिशा में कार्य के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- 3. शिकायतों की जाँच के सम्बन्ध में, NHRC के पास नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकद्दमा चलाने वाले नागरिक न्यायालय की शक्तियाँ मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - a. गवाह को ब्लाना और उनकी उपस्थिति स्निश्चित करना और शपथ के अधीन उनकी जाँच करना।
 - b. किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्त्ति।
 - c. साक्ष्यों को शपथपत्रों पर प्राप्त करना।
 - d. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकार्ड या प्रतिलिपि की मांग करना।
 - e. आयोगों को गवाहों और दस्तावेजों की जाँच करने का आदेश जारी करना।
 - f. आयोग, जाँच के उद्देश्य से केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या जाँच एजेंसियों का उपयोग जाँच करने के लिए कर सकता है। जाँच पूरी होने के बाद, आयोग सुझाव भेजकर सरकारी प्राधिकरण को यह करने के लिए कह सकता है:
 - i. शिकायतकर्ता/पीड़ितों को नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए।
 - ii. अभियोजन की कार्यवाहियाँ शुरू की जाएं।
 - iii. आयोग निर्देश, आदेश या रिट याचिकाएं दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का रुख भी कर सकता है।
 - 4. वे मामले जिनकी जाँच NHRC करेगा: पुलिस, प्रशासन और अन्य सरकारी विभाग जैसे प्राधिकरणों की ओर से निम्नलिखित से सम्बन्धित मामलों में निष्क्रियता:
 - a. गैरकानूनी हिरासत, झूठे मामलों में फँसाना, हिरासत में हुई हिंसा, अवैध गिरफ्तारी, अन्य पुलिस ज्यादतियाँ।
 - b. मुठभेड़ में हुई मौतें, पुलिस/जेल हिरासत में हुई मौतें, कैदियों का उत्पीड़न।
 - c. कैदियों का उत्पीड़न, जिसमें उन्हें सजा की अविध से अधिक हिरासत में रखना शामिल है; जेल में रहने के अयोग्य स्थितियों सहित।
 - d. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत उनके बकाए का भुगतान करने से इनकार करना।
 - e. बंधुआ मजदूरी; बाल मजदूरी; बाल विवाह।
 - f. दहेज हत्या या उसका प्रयास; दहेज की मांग, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और अभद्रता; महिलाओं का शोषण।

- g. वृद्धों के परिचितों और रिश्तेदारों के द्वारा देखभाल करने से इनकार करना, मानव तस्करी, अपहरण, यौन हमला, हत्या या हत्या का प्रयास, भ्रष्टाचार या ऐसे किसी अपराध की शिकायत दर्ज करने से मना करना जो कानून के तहत दंडनीय है।
- h. बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, संचार और परिवहन, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन, भोजन का अधिकार जिसमें कुपोषण और भुखमरी से होने वाली मौतें शामिल हैं और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मनरेगा, आईसीडीसी, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि के तहत लाभ के उपायों पर निष्क्रियता, या उनसे इनकार करना।
- i. ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने में निष्क्रियता, जिनमें गैर-कानूनी गतिविधि, सांप्रदायिक हिंसा, सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए निवारक कार्यवाही की जरूरत है।

शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है:

- a. सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा या उसकी भूल से हुए मानवाधिकार के उल्लंघन की घटना का उल्लेख करते हुए कोई भी पीड़ित, या पीड़ित की ओर से कोई और व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है।
- b. आयोग मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर मानवाधिकार के उल्लंघन की किसी भी घटना का स्वेच्छा से संज्ञान ले सकता है।

6. आमतौर पर NHRC जिन शिकायतों पर ध्यान नहीं देता:

- a. NHRC के समक्ष शिकायत दर्ज करने से एक वर्ष पहले हुई घटनाएं।
- b. वे मामले जो विचाराधीन हैं; अर्थात जो पहले से न्यायालय या किसी राष्ट्रीय या राज्य आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं, जिनमें राज्य के मानवाधिकार आयोग भी शामिल हैं, जो NHRC से स्वतंत्र हैं और उसके अधीन नहीं हैं।
- c. ऐसी शिकायतें जो अस्पष्ट, बेनाम, छद्मनामी या बेहूदा हैं, जिनमें मानव अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
- d. शिकायतें जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ, मजदूरी से इनकार के अलावा अन्य सेवा मामलों से सम्बन्धित हैं।
- e. शिकायतें जो सम्पत्ति और अन्य नागरिक विवादों से सम्बन्धित है, जिनमें वैवाहिक। पारिवारिक विवाद शामिल हैं।

7. शिकायत कहाँ दर्ज करें:

a. शिकायतों के पंजीकरण के लिए NHRC कोई शुल्क नहीं लेता है। परन्तु यदि शिकायतकर्ता कुछ सेवाओं का लाभ लेता है – उदाहरण के लिए, सार्वजनिक सेवा पोर्टल के माध्यम से शिकायत लिखने या भेजने के लिए यदि कोई सार्वजनिक सेवा केंद्र का संचालन करने वाले ग्रामीण-स्तर के उद्यमी की सेवा लेता है — तो महिला/पुरुष को मात्र ₹30 (जीएसटी सहित) सेवा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

b. शिकायतकर्ता पुरुष/महिला के नाम और हस्ताक्षर सहित पूर्ण संपर्क विवरण के साथ साधारण कागज पर लिखी गई शिकायतें, निम्नलिखित माध्यमों से सीधे आयोग को भेजी जा सकती हैं:

डाक द्वारा इस पते पर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली 110023. शिकायत में घटना की तिथि और स्थान, कथित हनन की प्रकृति, सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम, यदि कोई हो, और उसके सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए।

फैक्स के द्वारा इस नंबर पर: 011-24651334

NHRC की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन: www.nhrc.nic.in

c. शिकायतकर्ताओं को उनके पत्राचार के पते पर अंतिम निपटारे सिहत, उनकी शिकायतों के पंजीकरण और प्रगति की सूचना भेजी जाती है। यदि उपलब्ध हो तो सूचना शिकायतकर्ता के मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी पर भी भेजी जाती हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

- 1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे अपनी शक्तियां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 (NCM ACT) प्राप्त होती हैं।
- 2. 23 अक्तूबर 1993, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा एक राजपित्रत अधिसूचना जारी की गई, जिसमें पाँच धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। 27 जनवरी 2014 की अधिसूचना में, जैन समुदाय को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया।
- 3. NCM अधिनियम की धारा 9 NCM को यह सुनिश्चित करने के लिए कई शक्तियाँ और कार्य प्रदान करती है कि इस देश की धर्मनिरपेक्ष परंपराएं संरक्षित रहें। उपधारा (1) के तहत इन कार्यों में से कुछ इस प्रकार हैं:
 - a. आयोग अल्पसंख्यकों के विकास में प्रगति की निगरानी कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि स्रक्षा उपाय प्रदान किए जा रहे हैं।
 - b. आयोग सुझाव प्रदान कर सकता है ताकि इन सुरक्षा उपायों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेहतर ढंग से लागू किया जा सके।
 - c. जब अल्पसंख्यकों को इन अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किया जा रहा हो तब आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंचा जा सकता है और साथ यह उन मामलों को उचित अधिकारियों के सामने भी उठा सकता है।
 - d. आयोग अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव और अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर अध्ययन और शोध कर सकता है।

4. शिकायत तंत्र

- a. कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव के विरुद्ध या तो ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से या डाक के दवारा शिकायत दर्ज करवा सकता है।
- b. शिकायत की जाँच के लिए, आयोग सम्बन्धित विभाग या एजेंसी से रिपोर्ट देने की मांग कर सकता है।
- c. इसके बाद शिकायत में दिए गए तथ्यों पर आयोग द्वारा जाँच की जाती है।

शिकायत पत्र का नम्ना सेवा में सचिव राष्ट्रीय/राज्य अल्पसंख्यक आयोग आयोग का पता विषय: ____ श्रीमान/महोदया मैं, (नाम) पुत्र/पुत्री या पत्नी _____ (पता) का निवासी सूचित करता हूँ कि: (घटना या भेदभाव का विवरण) 1. 2. दिनांक (तिथि) ____ मैं आयोग के उदार अवलोकन हेत् (व्यक्ति / अधिकारी / पद / विभाग का नाम)_____ के विरुद्ध अपनी निम्नलिखित शिकायत प्रस्तुत करता हूँ ताकि मुझे मिली धमकी के मद्देनजर आगे के आवश्यक निवारक उपाय किए जा सकें। मैं ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि मेरी निम्नलिखित शिकायत किसी अन्य फोरम या कानूनी न्यायालय में नहीं चल रही है और किसी भी निर्णय से प्रतिबंधित नहीं है। I also undertake not to prefer this case to any other court of law during the pendency of the case in this Commission. मैं यह भी वचन लेता हूँ कि जब तक यह केस इस आयोग में चलता है, तब तक इसे किसी अन्य कानूनी न्यायालय में नहीं ले जाऊँगा। इसके साथ ही मैं आश्वासन देता हूँ कि इस केस में किसी भी तरह का बदलाव होने की स्थिति में आयोग को तत्काल सूचित किया जाएगा। आपका आभारी, (शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर और नाम)

- d. यदि आवश्यक हो, तो शिकायतकर्ता को विभाग या एजेंसी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ नए तथ्य भेजने या प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कहा जाता है। जब भी यह जरूरत महसूस होती है कि मामले में सुनवाई की जानी चाहिए, तो दो दोनों पक्षों को आयोग के समक्ष अपने विचार और प्रतिपक्ष विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है, और उन्हीं के आधार पर आयोग अपना निर्णय लेता है।
- e. जब भी आवश्यक हो, सम्बन्धित विभाग/एजेंसी को समय-सीमा के भीतर याचिकाकर्ता/ शिकायतकर्ता की याचिका/शिकायत को हल करने के लिए उचित निर्देश दिए जाते हैं।
- f. हालाँकि, आयोग को जब भी और जिस भी स्तर पर यह लगता है कि अब हस्तक्षेप की जरूरत नहीं हैं, तो मामले को बंद कर दिया जाता है। सर्वोच्च उद्देश्य याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता की अधिकतम संतुष्टि के लिए याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता की शिकायत/शिकायत को हल करना होता है।
- g. अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतें या अनाम शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतें या विचाराधीन मामलों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता।
- 5. एक निवारण फोरम के रूप में, आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे मुकद्दमे की जाँच करते समय गवाह की उपस्थिति को सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड्स मँगवाने, शपथ के आधार पर सबूत दर्ज करने, नागरिक अदालत की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।
- 6. शिकायत कहाँ दर्ज करें:
 - a. ऑनलाइन शिकायत http://cms.ncm.nic.in/ पर दर्ज की जा सकती है
 - b. अल्पसंख्यक समुदाय के लोग टोल-फ्री नंबर: 1800-11-00-88 पर NCM को फोन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की किसी भी योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न के लिए, हेल्पलाइन नंबर 1800-11-20-01 है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग

- 1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि दलित और आदिवासी समुदाय के सदस्य अपने मौलिक अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम हों और शोषण के विरुद्ध सुरक्षित रहें, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।
- 2. 2003 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना अनुच्छेद 338 के संशोधन करने और संविधान के माध्यम से संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम 2003, में एक नया अनुच्छेद 338A सिम्मिलित करने के दवारा की गई थी।
- 3. इस संशोधन के द्वारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिदेश को दो अलग-अलग आयोगों - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में विभाजित कर दिया गया।
- 4. आयोग के कार्य और कर्तव्य

संविधान ने, अनुच्छेद 338 के तहत, आयोग को निम्नलिखित कर्तव्य और कार्य सौंपे हैं:

- त. संविधान या थोड़े समय के लागू किए गए किसी अन्य कानून या सरकार के किसी भी आदेश के तहत
 अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जाँच और
 निगरानी करना और ऐसे स्रक्षा उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना;
- b. अनुसूचित जातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना;

c. इसी प्रकार, अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए समान कर्तव्य और कार्य सौंपे गए हैं।

5. शिकायत दर्ज करने के लिए:

- a. NCSC के समक्ष ncsccomplaints@gmail.com पर शिकायत भेजी जा सकती है
- b. NCST के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए, ईमेल <u>sey@ncst.nic.in</u> या <u>js@ncst.nic.in</u> दिया गया है; हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-77-77 से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है

6. जाँच की प्रक्रिया

- a. आयोग को अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के हनन के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करने की जरूरत पड़ती है। आयोग को इस कार्य को प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने में सक्षम करने हेतु, आयोग अनुसूचित जातियों के सदस्यों को यह बताना चाहता है कि यदि वे अपनी शिकायतों को सहायक दस्तावेजों के साथ को प्रमाणित करें और अधिनियम या नियमों अथवा दिशानिर्देशों से सम्बन्धित जिन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है उनका हवाला दें, तो उनकी याचिकाओं की जाँच करने में सहायता मिलेगी।
- शिकायत दर्ज करते समय याद रखने योग्य बिन्दुः
 आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करते समय निम्नलिखित पहल्ओं को ध्यान में रखा जा सकता है।
 - a. शिकायत सीधे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, या राज्य कार्यालय के प्रमुखों को संबोधित की जानी चाहिए।
 - b. शिकायतकर्ताओं को अपनी पूरी पहचान प्रकट करनी चाहिए, अपना पूरा पता देना चाहिए और प्रतिनिधित्व पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
 - ट. शिकायतों में आरक्षण नीति, कार्मिक और प्रशिक्षण कार्यालय विभाग के ज्ञापन, भारत सरकार के आदेश, राज्य सरकार के आदेश, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत निकायों के आदेशों या आरक्षण के किसी भी अन्य नियमों के उल्लंघन का स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाना चाहिए।
 - d. चूंकि ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती जो विचाराधीन (पहले से न्यायालय के समक्ष) हैं, शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि मामला विचाराधीन नहीं है।
 - e. न्यायालयों में लंबित मामले या जिन मामलों में न्यायालय ने पहले ही अपना अंतिम निर्णय सुना दिया
 है उन्हें नए सिरे से आयोग के समक्ष नहीं लाया जा सकता।
 - f. प्रशासनिक प्रकृति के मामले, जैसे एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) के तबादले/तैनाती/श्रेणीकरण के मामलों को आयोग के द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि याचिकाकर्ता का जाति-आधारित उत्पीड़न न हो।
 - g. जिन मामलों में आरक्षण नीति, कार्मिक और प्रशिक्षण कार्यालय विभाग के जापन, भारत सरकार के आदेश, राज्य सरकार के आदेश, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के आदेशों या आरक्षण के किसी भी अन्य नियमों के उल्लंघन का कोई उल्लंख न किया गया हो उनमें कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसलिए जिन मामलों में उपरोक्त नियमों के उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं है, उन्हें शिकायत के रूप में आयोग के समक्ष नहीं लाया जाना चाहिए।
 - अत्याचार के मामलों की जाँच:
 - जब भी आयोग में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार की किसी भी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो आयोग तुरंत घटना के विवरण का पता लगाने के लिए राज्य और जिले के कानून-प्रवर्तन और प्रशासनिक तंत्र से संपर्क करेगा। यदि विस्तृत पूछताछ/जाँच के बाद, आयोग को अत्याचार से सम्बन्धित

आरोप/शिकायत का प्रमाण मिलता है, तो आयोग राज्य/जिले की सम्बन्धित कानून-प्रवर्तन एजेंसी को अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का सुझाव दे सकता है। ऐसे मामलों में, राज्य सरकार/जिला प्रशासन/पुलिस कर्मियों को तीन दिनों के भीतर समन के जरिए बुलाया जा सकता है।

- 9. आयोग सम्बन्धित अधिकारियों की निगरानी और निर्देश जारी करके निम्नलिखित स्निश्चित करता है।
 - a. सूचना मिलने पर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की घटना के स्थान का तुरंत दौरा किया गया है या नहीं।
 - b. स्थानीय प्लिस थाने में उचित FIR दर्ज की गई है या नहीं।
 - c. शिकायतकर्ता के द्वारा दिए गए सभी शामिल/उल्लिखित व्यक्तियों के नाम FIR में शामिल हैं या नहीं।
 - d. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच की गई है या नहीं।
 - e. अपराधियों को बिना समय गंवाए पकड़ा और नामित किया गया है या नहीं।
 - f. क्या न्यायालय में नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955, और एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की सम्बन्धित धाराओं का उल्लेख करते हुए एक उचित आरोप-पत्र दायर किया गया है या नहीं।
 - g. मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालयों द्वारा की जा रही है या नहीं।
 - h. इन मामलों को सम्भालने के लिए विशेष सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं या नहीं। क्या पुलिस गवाहों को आगे लाने में न्यायालयों की सहायता कर रही है या नहीं, और वह नज़र रखता है कि अपराधी न्यायालयों दवारा उचित दण्ड पाएं।

10. आयोग यह निगरानी रखेगा कि:

- व. पीड़ितों को उपयुक्त चिकित्सकीय सहायता मिले और समय पर मिले;
- b. इस तरह की घटनाओं के पीड़ितों के लिए पुलिस पार्टी को तैनात करके, या गश्त इत्यादि के द्वारा पुलिस पर्याप्त सुरक्षा का प्रबन्ध करे;
- c. यह निगरानी भी रखेगा कि कानून के अन्सार पीड़ितों को उचित म्आवजा दिया जाए।
- 11. आयोग, जहाँ भी संभव होगा, मामले की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्था की निगरानी करने और पीड़ितों के बीच विश्वास और सांत्वना देने के लिए घटना की जगह का दौरा करेगा।
- 12. आयोग इस तरह की पूछताछ करने और सभी स्तरों पर निगरानी के लिए विस्तृत प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान कर सकता है। इस तरह की जाँच आयोग के सदस्यों या मुख्यालय के जाँचकर्ताओं के दलों या आयोग के किसी राज्य कार्यालय या अध्यक्ष द्वारा विधिवत नियुक्त और अधिकृत किसी अन्य अधिकारी(यों)/एजेंसी द्वारा की जा सकती है।
- 13. आयोग द्वारा नागरिक न्यायालयों की शक्तियों के अनुसार जारी किए जाने वाले सभी समन और वारंट निर्धारित प्रपत्र में लिखे जाएंगे और उन पर आयोग की मुहर लगी होगी। कानूनी प्रक्रिया, आयोग के कानूनी प्रकोष्ठ से जारी की जाएगी और उस पर आयोग की मुहर लगी होगी। आयोग द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

3. सामूहिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जिटल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा किल्पत स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेतु प्रश्न:

1. नीचे दी गई केस स्टडी (मामले के अध्ययन) को पढ़ें और दी गई सूचना के आधार पर, NHRC या NCM के लिए शिकायत का मसौदा तैयार करें:

अनुज छत्तीसगढ़ में रहने वाला एक ईसाई है। उसके पड़ोसी, दुर्गा और बसंत, ने उसे गाँव के तालाब से पानी और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने से मना कर दिया। उसे धमकाया गया और गाँव छोड़ने के लिए कहा गया, और धमकी दी कि ऐसा न करने पर उसे और उसके परिवार को हानि उठानी पड़ेगी। स्थानीय पंचायत ने आदेश पारित किया कि अनुज या उसके परिवार से बातचीत करने वाले किसी भी व्यक्ति पर ₹5000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

वह जगदलपुर पुलिस थाने गया और पुलिस को स्थिति की सूचना दी और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। अनुज जब अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए वहाँ गया तो स्थानीय पुलिस ने उसे मारा-पीटा। पुलिस ने उसे धमकी भी दी कि यदि उसने दोबारा पुलिस थाने में अपनी शक्ल दिखाई तो उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा। उसे धमकाने वाले उसके पड़ोसियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2. NHRC, NCSC, NCST और NCM के समक्ष शिकायत दर्ज करते समय किन बिंदुओं को याद रखना महत्वपूर्ण है? (प्रत्येक समूह एक-एक अर्ध-न्यायिक निकाय पर कार्य कर सकता है)

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढें:

i. भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में अर्ध-न्यायिक निकायों की भूमिका

देखें:

i. <u>वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग</u>

पर्चा: शिकायत का प्रारूप

	आपके बारे में	विवरण	
1.	नाम	पूरा नाम लिखें।	
2.	लिंग	सूची से लिंग का चयन करें।	
3.	पता	पत्राचार के लिए पूरा पता लिखें।	
4.	राज्य	सूची से अपने राज्य के नाम का चयन करें।	
5.	जिला	सूची से अपने जिले के नाम का चयन करें।	
6.	पिन कोड	आपका स्थानीय पिनकोड	
7.	यदि उपलब्ध हो तो ईमेल-आईडी और मोबाइल नं		
पीड़ित का विवरण	т		
1.	नाम	पीड़ित का पूरा नाम लिखें	
2. पता पीड़ित का पूरा पता		पीड़ित का पूरा पता	
3.	राज्य	पीड़ित जिस राज्य से सम्बन्ध रखता है – सूची से उसके नाम का चयन करें।	
4.	जिला	पीड़ित जिस जिले से सम्बन्ध रखता है – सूची से उसके नाम का चयन करें।	
5.	लिंग	सूची से पीड़ित के लिंग का चयन करने। यदि पीड़ितों की संख्या एक से अधिक हो तो 'समृह' विकल्प का चयन करें।	
6.	पिन कोड	स्थानीय पिनकोड, यदि उपलब्ध हो तो।	
7.	विकलांगता	सूची से पीड़ित की विकलांगता की स्थिति का चयन करें।	
8. आयु		पीड़ित की आयु वर्षों में लिखें।	
9.	धर्म	सूची से पीड़ित के धर्म का चयन करें।	
10.	जाति	सूची से पीड़ित की जाति का चयन करें।	
घटना की जानक	री		
11.	स्थान	घटना के सही स्थान का विवरण दें, अर्थात क्षेत्र, गाँव, कस्बा, शहर	
12.	राज्य	सूची में से उस राज्य के नाम का चयन करे जहाँ घटना घटित हुई है	
13.	जिला	T सूची में से उस जिले के नाम का चयन करें, जहाँ घटना घटित हुई है	
14.	घटना की तिथि	ाटना की तिथि (तिथि/महीना/वर्ष) का उल्लेख करें	

15.	घटना की श्रेणी	घटना का सम्बन्ध जिस श्रेणी से है सूची में से उस श्रेणी का चयन करें				
16.	घटना की उप-श्रेणी	सूची से घटना की उस उप-श्रेणी का चयन करें जो विशेष रूप से घटना की प्रकृति को दर्शाती है				
17.	शिकायत लिखें	घटना/शिकायत के तथ्यों/आरोपों का संक्षिप्त विवरण				
18.	क्या यह शिकायत पहले किसी न्यायालय/राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष दर्ज की गई है	विकल्प का चयन करें कि क्या इसी घटना की शिकायत किसी न्यायालय या राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष दर्ज की गई है या नहीं।				
राहत का विवरण						
19.	लोक सेवक का नाम, पद और पता	जिस लोक सेवक/प्राधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जा रही है, उसका पूरा विवरण लिखें।				
20.	राहत की माँग	मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध मांगी गई राहत की पूरी जानकारी दें।				

मॉड्यूल III

धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काननी संसाधन

भाग 3: पीड़ित का मुआवजा

यह सत्र पीड़ित मुआवजा की रूपरेखा प्रदान करता है, और बताता है कि मुआवज़े के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, और मुआवजे की सीमा कैसे निर्धारित होती है।

1. शिक्षा के उददेश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. पीड़ित म्आवजा नीति और लक्षित हिंसा के पीड़ितों के लिए इसके निहितार्थ की समझ विकसित करना।
- 2. पीड़ित म्आवजा योजनाओं के तहत म्आवजे के लिए आवेदन कैसे करें, इसे स्पष्ट करना।

2. प्रस्त्तिकरण के लिए म्ख्य बिन्द्



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामूहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. भारत में वर्तमान में पीड़ित मुआवजे या क्षितिपूर्ति के लिए एक व्यापक कानून नहीं है, बल्कि इसके बजाय धार्मिक समुदायों के विरुद्ध हिंसा की घटना की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर मुआवजे के लिए विशेष अन्दान निर्धारित किये गए हैं।
- 2. क्षितिपूर्ति का अर्थ है ऐसे व्यक्ति के नुकसान की भरपाई करना जिसे दूसरे व्यक्ति के हाथों वैध चोट लगी है; हरजाना प्रदान करना, बहाली करना, या गलत तरह से प्रताड़ित किये गए व्यक्ति को संतुष्टि और मुआवजा प्रदान करना। यह घायल पक्ष के लिए किए गए किसी कार्य या दी गई किसी चीज का संदर्भ भी है। बहाली किसी वस्तु के मालिक को वह वस्तु लौटाना है जिसे गलत तरीके से ले लिया गया था। इसका अर्थ यह भी है कि घायल पक्ष को उस परिस्थिति या स्थिति में वापस पहुंचाना हैं जहाँ वह उसके साथ कार्य गलत कार्य न किये जाने पर होता।
- 3. मानवाधिकारों और मानवीय कानूनों के तहत राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति मानकों को संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून (क्षतिपूर्ति सिद्धांत) के उल्लंघनों के पीड़ितों हेत् निवारण और क्षतिपूर्ति के दिशानिर्देशों में पाया जाता है।
- 4. क्षितिपूर्ति के सिद्धांतों के अनुसार, राज्य को ऐसे कृत्यों या चूकों के लिए क्षितिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए जिनके लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून या

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन हैं। भारतीय न्यायालयों के समान, क्षतिपूर्ति सिद्धांत भी गंभीर मानवाधिकार शोषणों से रक्षा करने में विफलता पर राज्य के दायित्व की माँग करते हैं। हालाँकि, इन सिद्धांतों का दायरा वित्तीय मुआवजे से परे है। सिद्धांतों के अनुसार, क्षतिपूर्ति की मात्रा उल्लंघनों और झेली गई हानि की गम्भीरता के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए, और इसमें बहाली, मुआवजा, पुनर्वास, संतुष्टि और गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी शामिल होनी चाहिए।

- 5. भारतीय न्यायालयों ने पुष्टि की है कि सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित केवल अपने साथ हुए व्यक्तिगत अपराधों से पीड़ित नहीं होते, बल्कि वे संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से जीवन के मौलिक अधिकार, जिसकी संविधान के अनुच्छेद 21 तहत गारंटी दी गई है, उसको बचाए रखने में राज्य की विफलता से भी पीड़ित होते हैं। उदाहरण के लिए, भजन कौर बनाम दिल्ली, मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दंगे "अक्सर कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था लागू करने में प्रशासन की कमजोरी, ढिलाई और उदासीनता के कारण होते हैं।" यदि अधिकारी समय रहते प्रभावशीलता और क्शलता से कार्य करें, तो दंगों को निश्चित रूप से रोका जा सकता है।
- 6. इसी तरह, मंजीत सिंह साहनी बनाम भारत संघ, मामले में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने देखा कि दंगे "कानून और व्यवस्था को लागू करने में प्रशासन की ढिलाई और उदासीनता के कारण" होते हैं और ये कानून के समक्ष नागरिक के जीवन और समानता मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का कारण बनते हैं। राज्य के हाथों मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार होने वाले व्यक्ति सार्वजनिक कानून की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं और विफल सरकारी निकाय के समक्ष म्आवजे का दावा कर सकते हैं।
- 7. 1980 और 1990 के दशक में कई फैसलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने में राज्य की विफलता के लिए सख्त दायित्व के सिद्धांत को बरकरार रखा, और पीड़ितों को मुआवजा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को हिरासत में होनेवाली मौतों के लिए राज्य की जिम्मेदारी से सम्बन्धित केसों में शामिल किया।
- 8. गृह मंत्रालय ने "प्रोजेक्ट असिस्ट", नामक योजना प्रदान की है, जो "विभिन्न सांप्रदायिक, जातिगत, नस्लीय या आतंकवादी हिंसा में अनाथ या निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है।" इस योजना के तहत 25 वर्ष की आयु तक, छात्रवृत्ति और अन्य वितीय राहत के रूप में, बच्चों और वयस्कों को समान रूप से वितीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 9. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A को 2009 में जोड़ा गया था ताकि अपराध के निर्दोष पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बलात्कार इत्यादि जैसे अपराधों के लिए मुआवजा प्रदान किया जा सके। धारा 357A के तहत सांप्रदायिक दंगों में पीड़ित महिलाएं और बच्चे अपने विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए मुआवजे का दावा करने के पात्र हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में उल्लेख किया था।
- 10. करन बनाम NCT राज्य दिल्ली, मामले में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दोषी ठहराए जाने के बाद, दोषियों को अपनी संपत्ति, आय और व्यय का खुलासा करने के लिए एक शपथ पत्र दायर करना होगा, ताकि परीक्षण न्यायालयों को पीड़ितों के लिए देय मुआवजा हासिल करने के लिए सक्षम किया जा सके। शपथ पत्र के बाद, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर आपराधिक मामले ने संक्षिप्त जाँच के बाद पीड़ित प्रभाव सूचना (VIR) दायर की जाए।

- 11. तत्पश्चात, सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय VIR, अभियुक्तों की भुगतान क्षमता, अभियोजन पर किए गए व्यय और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए पक्षों द्वारा जमा कराई गई राशियों के साथ-साथ राज्य की अभियोजन की लागत पर विचार करेगा।
- 12. इसके फलस्वरूप न्यायालय ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 357(3) में शब्द "हो सकता है", जो पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के बारे में है, उसका अर्थ "करेगा" है और इसलिए, सीआरपीसी की धारा 357 अनिवार्य है।

3. सामूहिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जिटल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा किल्पत स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेतु प्रश्न:

- 1. एक दंगे के बाद पीड़ितों द्वारा उठाए गए न्कसान का विवरण देने के लिए एक प्रपत्र की रचना करें।
- पीएम के 15-सूत्रीय कार्यक्रम को पढ़ें और सांप्रदायिक झगड़ों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले पूर्व-निर्धारित कदमों की रूपरेखा तैयार करें।
- 3. केंद्र सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना का अध्ययन करें और जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी मात्रा पर टिप्पणी करें। महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस को किन-किन विशेष सुरक्षाओं का पालन करना पड़ता है?
- 4. कृपया नीचे दी गई स्थितियों को पढ़ें और पहचान करें कि पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या इन स्थितियों में कोई कानूनी उल्लंघन है।
 - a. जब कुमार चल रहा था तो उसका सामना हिंसक भीड़ से हुआ और इस कारण उसे गंभीर चोटें आईं। उसके दवारा अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई।
 - b. सेहजल के प्रेमी ने उसका यौन शोषण किया और उसने उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है।
 - राहुल का घर दंगों में क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसे शारीरिक चोटें भी आई थीं। उसने पुलिस शिकायत
 दर्ज करने का प्रयास किया था जो अब तक FIR में नहीं बदली है।

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढें:

- i. पीएम का 15-सूत्रीय कार्यक्रम (English/हिन्दी)
- ii. केन्द्र सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना

iii. <u>पीड़ित मुआवजा और धार्मिक स्वतंत्रता</u>

देखें:

i. <u>"पीड़ित मुआवजे" का दावा कैसे करें</u> (हिन्दी वीडियो)

मॉड्यूल IV

धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों की

भाग 1: मानवाधिकार उल्लंघन संहिता का दस्तावेजीकरण

1. शिक्षा के उददेश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- 1. मानवाधिकारों के उल्लंघनों को दस्तावेज बनाने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान करना और मौजूदा संसाधनों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- 2. धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों के प्रति स्पष्ट वकालत रणनीति का निर्माण करना।

2. प्रस्तुतिकरण के लिए मुख्य बिन्दु



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामूहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों की प्रभावी वकालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जमीनी स्थिति का स्पष्ट, विश्वसनीय और समयोचित डाटा उपलब्ध हो। इसके लिए एक व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है।
- 2. मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेज़ीकरण अंतर्निहित मुद्दों और रुझानों की पहचान करने में सहायता करता है। यह वकालत और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का एक प्रभावी साधन बन जाता है। कृपया ध्यान दें कि सरकारों, पुलिस अधिकारियों या अन्य राज्य कर्ताओं द्वारा प्रबल हिंसा, भेदभाव या बैरभाव का दस्तावेज़ीकरण ऐसे व्यक्तियों से विरोध को आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार यह मानवाधिकारों के रक्षक के लिए जोखिम का घटक पैदा करता है।
- 3. इस दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में जरूरत पड़ती है:
 - बाटा संग्रहण: व्यक्तिगत घटनाओं और रुझानों की नियमित और व्यवस्थित निगरानी करना महत्वपूर्ण होता है। यह तथ्य-खोजने वाली वेबसाइटों, मीडिया की निगरानी करना, हेल्पलाइनों के बारे में जानकारी एकत्र करना, इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है। जानकारी प्रश्नावलियों, सर्वेक्षणों, इत्यादि के माध्यम से भी एकत्र की जा सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी डाटा संग्रह के सफल और सटीक होने के लिए, मुख्य शब्दों और अवधारणाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें सार्वभौमिक रूप से समझा या देखा जाता है।

- b. डाटा को व्यवस्थित करना: जो जानकारी एकत्र की गई है उसे इस ढंग से उसे इस तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए कि यह विश्लेषण और प्रसार के लिए आसानी से प्राप्त की जा सके। एकत्रित डाटा को गोपनीय और सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि जितना सम्भव हो सके, मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रासंगिक मल्टीमीडिया फाइलों, जैसे कि तस्वीरें या विडियोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, समाचार कतरनें, इत्यादि को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित किया जाना चाहिए। डाटा को संकलित करने के लिए मुख्य शीर्षकों और श्रेणियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- ट. डाटा का विश्लेषण करना: रुझानों की पहचान करने और ऐतिहासिक संदर्भ का निर्माण करने के लिए समय-समय पर डाटा की समीक्षा की जानी चाहिए। डाटा-प्रस्तुतिकरण के नए रूप डाटा को अत्यंत दिलचस्प प्रारूपों में प्रस्तुत करने की अनुमित प्रदान करते हैं और डाटा के आसान प्रसार के अवसर देते हैं।
- d. वकालत : डाटा और विश्लेषण के आधार पर एक स्पष्ट वकालत की रणनीति बनाएं, िक कौन-कौन प्रभावी व्यक्ति/संस्था सहायता कर सकते हैं और उनसे क्या-क्या अनुरोध या सिफारिशें की जा सकती हैं। जानकारी को स्पष्ट रूप से समस्या तथा रुझानों को रेखांकित करना चाहिए और इसे जिस व्यक्ति/संस्था तक पहुँचाया जा रहा है उसकी क्षमता के आधार पर स्पष्ट नीति अनुरोध होने चाहिए।

3. सामूहिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जिटल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा कल्पित स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तृत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेतु प्रश्न:

- 1. "घटना प्रश्नावली और FIR तालिका" नामक पर्चे में प्रश्नावली की समीक्षा करें। क्या प्रश्न सहायक हैं? क्या आप अतिरिक्त प्रश्नों का सुझाव देना चाहेंगे?
- 2. <u>वाइलंस मॉनीटर</u> और <u>डोटो</u> (पीड़ितों का दस्तावेज़ीकरण) वेबसाइटों की समीक्षा करें। इस तरीके से डाटा इकट्ठा करने के कुछ फायदे या नुकसान क्या हैं?
- जानकारी इकट्ठा करते समय व्यक्ति को किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन पर विजय प्राप्त करने के तरीकों का सुझाव दें।
- 4. "जानकारी इकट्ठा करने के दिशानिर्देश" नामक पर्चे की समीक्षा करें और चर्चा करें कि आपके विचार से जानकारी इकट्ठा करने की सर्वोत्तम पद्धतियाँ क्या हैं?
- 5. सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह हिरयाणा राज्य में, धर्म के आधार पर लोगों के विरुद्ध होने वाली हिंसक घटनाओं की सूचना देने के लिए न्याय नाम हेल्पलाइन स्थापित करता है। अहमद हेल्पलाइन पर फोन करता है और गौ रक्षा को लेकर उसके साथ हुई घटना की सूचना देता है। आपको क्या लगता है कि हेल्पलाइन सलाहकार के रूप में आपकी इस सूचना के प्रति कैसी प्रतिक्रिया होगी? (पूछे गए प्रश्न, पीड़ित को दी गई सलाह, जानकारी को सत्यापित करने और संग्रहित करने के तरीके सिम्मिलत करें)।

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढ़ें:

i. **एशिया फाउंडेशन द्वारा** <u>हिंसक घटनाओं की निगरानी करने वाली प्रणालियाँ: पद्धति टूलिकट</u>

मॉड्यूल IV

धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों की

भाग 2: मीडिया को शामिल करना

1. शिक्षा के उद्देश्य



शिक्षा के उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ

- 1. इस विषय पर जागरूकता फैलाना कि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रस्तुति के लिए मीडिया को कैसे शामिल किया जाए।
- 2. वकालत की रणनीति विकसित करना जिसमें मीडिया, विशेषरूप से सोशल मीडिया शामिल हो, ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निश्चित रूप से प्रकाश डाला जा सके।

2. प्रस्त्तिकरण के म्ख्य बिन्द्



प्रशिक्षक को पृष्ठभूमि टिप्पणियों से परिचित होना चाहिए और उसे नीचे बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार करना चाहिए। पृष्ठभूमि टिप्पणियाँ विषय के परिचय के रूप में काम करती हैं और यह आगे किए जानेवाले सामृहिक क्रियाकलापों हेत् कुछ संदर्भ प्रदान करने में भी सहायता करेंगी।

- 1. मीडिया को आमतौर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सिहत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है।
- 2. मीडिया की भूमिका मुख्य नीतिगत निर्णयों और अन्य स्तंभों के कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- मीडिया से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आम जनता के सामने आने वाले सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाले ताकि उचित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।
- 4. इसलिए, मीडिया मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मीडिया मानवाधिकारों, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता के उद्देश्यों को या तो दृढ़ बना सकता है या अगर यह संवेदनशीलता से मुद्दों पर रिपोर्ट करने में विफल रहे तो उन्हें कमजोर भी कर सकता है।
- हाल के वर्षों में, मीडिया के कुछ भागों, विशेष रूप से सोशल मीडिया का प्रभाव, खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध शत्र्ता और हिंसा को भड़काने में देखा गया है।
- 6. मार्च 2018 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जारी एक अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए किया गया था। अधिकांश टिप्पणियों में

मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ शारीरिक नुकसान या हिंसा की भावनाओं को भड़काया गया था, जो देश की 1.2 अरब आबादी में लगभग 18 करोड़ लोगों का समुदाय है। ऐसे विषय जो घृणास्पद भाषण को उकसाते हैं हिंदूओं और मुसलमानों के बीच अंतर-धर्म विवाह, सार्वभौमिक मानवाधिकारों पर पक्ष, और गौ रक्षा और गोमांस के उपभोग के विवादित मुद्दों पर आधारित थे। इसी तरह, सोशल मीडिया पर ईसाइयों को अक्सर धर्मांतरण के आरोपों का निशाना बनाया गया था।

- 7. दूसरी ओर, जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग ने कहानी को बदलने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के विषय में जागरूकता को बढ़ाने में भी सहायता की है जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों के लिए बुनियादी मानवाधिकारों का संरक्षण हुआ है।
- 8. भारत में स्मार्टफोन क्रांति की वजह से हम में से प्रत्येक के पास नागरिक पत्रकार बनने और हमारे आसपास की स्थिति के बारे में कहानियां साझा करने की क्षमता है।
- 9. प्रभावी वकालत अभियान के निर्माण में मीडिया को शामिल करना, विशेषतः एक पत्रकार के साथ या सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करना शामिल हैं। ऐसा करते समय इन बातों को ध्यान में रखें:
 - a. सुरक्षा: िकसी पत्रकार के साथ या सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते समय, यह सुनिश्चित करें िक आपने इस तरह की कहानी को साझा करने के जोखिम या इससे पीड़ित पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हैं। कुछ कहानियों ने न केवल टयक्ति के लिए बल्कि पूरे समुदायों के लिए संवेदनशीलता बढ़ाई है और इसके साथ उचित तरीके से ट्यवहार किया जाना चाहिए।
 - b. गोपनीयता: कोई भी कहानी पीड़ितों की स्पष्ट अनुमित के बिना साझा नहीं की जानी चाहिए। यौन हिंसा या नाबालिगों के शामिल होने पर, पीड़ितों की गोपनीयता सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
 - ट. जानकारी की विश्वसनीयताः किसी पत्रकार के साथ या सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले, विभिन्न स्रोतों से घटना को सत्यापित करने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। जानकारी केवल तब साझा की जानी चाहिए जब कहानी अन्य स्रोतों द्वारा प्ष्टि की गई हो।
 - d. मुद्दे की समयोचिता: पत्रकारों के साथ समय पर डाटा साझा किया जाना चाहिए ताकि उनके कहानी का संज्ञान लेना सुनिश्चित किया जा सके। यदि घटना पुरानी हो जाए, तो उसके इर्दगिर्द मीडिया का ध्यान आकर्षित करना अधिक कठिन होगा।
 - e. रचनात्मक बनें: समाचार का अर्थ अक्सर सूचना को नए तरीके से बताना होता है। जानकारी प्रस्तुत करने के वैकल्पिक तरीके खोजने का प्रयास करें। एक ही तरह की घटनाओं को एक ही तरह से सुनने से उदासीनता आती है, हमें जानकारी को अधिक विक्रययोग्य बनाने के तरीके खोजने चाहिए।

3. सामूहिक कार्यकलाप



इस खंड में, प्रतिभागियों को ऐसे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए जहाँ वे अभी-अभी सीखी गई बातों के प्रकाश में जिटल और विवादास्पद विचारों पर चर्चा कर सकें तथा किल्पत स्थितियों का विश्लेषण कर सकें। यह एक साथी को दूसरे साथी से सीखने का अवसर प्रदान करता है। स्थितिजन्य विश्लेषण में, खुद को वर्णित सभी किरदारों की स्थिति में रखना और उनके दृष्टिकोण से सोचना सहायक होता है। समूह अपने विचारों को एक चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और समूह के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए समूह के एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

चर्चा हेत् प्रश्न:

- 1. मानव अधिकार रक्षकों को मीडिया से ज्ड़ने पर विचार क्यों करना चाहिए?
- 2. मीडिया से जुड़ने का अच्छा समय कब होता है?
- 3. मीडिया से ज्ड़ते समय ध्यान में रखी जानी वाली अच्छी पद्धतियाँ कौन सी हैं?
- 4. आप मीडिया से ज्ड़ने के बारे में आपके विचार से आपके सम्भावित साथी कौन-कौन हैं?
- 5. मीडिया से ज्ड़ते समय आप यह कैसे स्निश्चित कर सकते हैं कि आप से कोई न्कसान न हो?
- 6. नीचे दी गई केस स्टडी (मामले के अध्ययन) पढ़ें जिसमें धर्म या आस्था की स्वतंत्रता खतरे में है और एक संक्षिप्त वकालत अभियान की योजना बनाएं। एक दंगे के बाद पीड़ितों द्वारा उठाए गए नुकसान के विवरण के लिए प्रपत्र को तैयार करें।

अमित और प्रदीप एक छोटे आत्मिक युवा समूह का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने हिमालय की तलहटी में एक सप्ताह के रिट्रीट कार्यक्रम के लिए बच्चों को आमंत्रित किया। बच्चों ने अपने अभिभावकों से आवश्यक अनुमित ली और उन्हें बस में बैठाया गया और वे कैम्प स्थल की ओर निकल पड़े। कैम्प स्थल के मार्ग में, अमित, प्रदीप और बच्चों को पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। पुलिस ने अमित प्रदीप को बच्चों की तस्करी करने और उनका धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। बच्चों को उनकी कैंप किट के भाग के रूप में चमकीले रंग के बैग और टी-शर्ट दी गई थीं। पुलिस के अनुसार, यह उन्हें ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का प्रलोभन था। अमित और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बच्चों के साथ यात्रा कर रहे एक अभिभावक को भी गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार तीन साल बाद उन्हें उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया गया।

चर्चा करें

- a. "मौलिक अधिकारों" नोट की प्रतियाँ दें और प्रतिभागियों से पूछें कि अमित और प्रदीप के मामले में किन अधिकारों
 का उल्लंघन किया गया था।
- b. प्रतिभागियों से अमित और प्रदीप के मामले के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वकालत अभियान की रचना करने के लिए कहें। (सोशल मीडिया अभियान शुरू करने से लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने, इत्यादि, सभी सम्भावनाओं पर विचार करें)
- पता लगाएं कि ऐसे कार्यकलापों को करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक कार्यकलाप के कठिनाई स्तर का मूल्यांकन करें।
- d. अंत में प्रत्येक समूह को अन्य समूह के समक्ष अपने अभियान के विचरण प्रस्तुत करने चाहिए।

4. अतिरिक्त संसाधन



यह खंड सत्र में साझा किए गए कुछ विचारों और अवधारणाओं को और भी विकसित करने के लिए प्रशिक्षक या प्रतिभागियों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है। प्रशिक्षक को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इन ऑनलाइन संसाधनों के लिंक साझा करे।

पढें:

i. टैप नेटवर्क की Engaging with the Media, SDG Accountability Handbook

देखें:

- i. एनजीओ बॉक्स की How to Create a Social Media Strategy for Your Non-Profit
- ii. एनजीओ बॉक्स की <u>How to Become a Better Visual Storyteller, A Masterclass by Alen</u> Palander

प्रशिक्षण का मूल्यांकन

समापन सत्र

1. उद्देश्य



उद्देश्य मॉड्यूल के लक्ष्य को रेखांकित करते हैं और उन्हें सत्र की शुरुआत में प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

प्रतिभागी मुख्य शिक्षा और प्रशिक्षण में भेद करना सीखेंगे और प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के विषय में महत्वपूर्ण फीडबैक भी प्रदान करेंगे।

2. प्रस्तुतिकरण के लिए बिन्दु



प्रशिक्षक को प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के दौरान सिखाई गई मुख्य अवधारणाओं और विचारों का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करना चाहिए।

- इस प्रशिक्षण के माध्यम से, हमने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बन्धित मुख्य अवधारणाओं और कानूनों का पता लगाया है।
- यह प्रशिक्षण पराकाष्ठा नहीं है, बल्कि एक ऐसा समुदाय बनाने का अवसर है जो धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा
 और उसे बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे का समर्थन करता है।
- iii. प्रत्येक प्रतिभागी एक बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ है और उसके पास बाकी प्रतिभागियों से साझा करने के लिए कुछ अनोखी बातें हैं।

3. सामूहिक कार्यकलाप



प्रतिभागियों को समान आकार के समूहों में बाँट दें। इस कार्यकलाप को सामुदायिक जाल के रूप में जाना जाता है।


- i. प्रतिभागियों को समूहों में बांट दें और उन्हें एक घेरा बनाने के लिए कहें।
- प्रत्येक समूह में एक प्रतिभागी को ऊन का एक गोला दें और उस प्रतिभागी से प्रशिक्षण की एक मुख्य सीख
 साझा करने के लिए कहें।
- iii. उस प्रतिभागी के साझा करने के बाद, वह धागे का एक सिरा पकड़ ले और ऊन के गोले को दूसरे प्रतिभागी की ओर फेंक दें जो अपनी महत्वपूर्ण सीख साझा करेगा। यह प्रक्रिया घेरे के सभी लोगों को अपनी-अपनी सीख साझा करने का अवसर मिलने तक जारी रह सकती है। जैसे-जैसे सदस्य साझा करेंगे प्रत्येक घेरा ऊन के धागों से बना एक जाल बन जाएगा।
- iv. प्रतिभागियों के साझा करने के बाद, प्रशिक्षक कुछ मुख्य शिक्षाओं और जैसा कि उपरोक्त कार्यकलाप से स्पष्ट है, प्रत्येक प्रतिभागी की अंतर्संबंधता पर टिप्पणी कर सकता है।

पर्चा: घटना प्रश्नावली और FIR तालिका

- 1. जिन पर हमला हुआ था उन पास्टरों/व्यक्तियों के नाम।
- 2. पीड़ित का पता, विशेषतः गाँव, ताल्का, जिला और राज्य।
- 3. सरकारी कर्मचारी /व्यवसायी/ निजी फर्म/ बेरोजगार/ चर्च का साधारण सदस्य जिन व्यक्तियों पर हमला किया गया था उनका व्यवसाय।
- 4. हमले का अवसर: (कलीसिया सभा/गृह सभा/सार्वजनिक सुसमाचार प्रचार/व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार/ घर पर/ दौरे पर/ बाजार में/ कोई अन्य। विवरण के साथ निर्दिष्ट करें)
- 5. घटना का स्थान/पता।
- 6. हमलावरों द्वारा लगाए गए आरोप/दोष।
- 7. पीड़ितों की संख्या।
- 8. हमले की प्रकृति।
- 9. मौखिक रूप से दी गई गालियाँ।
- 10. शारीरिक हमला पीटा गया/ हड्डी टूट गई/ चोट/ खून बह रहा है/ निर्वस्त्र किया गया/
- 11. क्या डॉक्टर द्वारा उपचार/अस्पताल में भर्ती किया गया या नहीं।
- 12. मेडिकल प्रमाण पत्र/ मेडिकल रिपोर्ट मिली: हाँ/नहीं
- 13. हमलावरों की संबद्धता
- 14. कितने लोगों ने हमला किया या जिन्होंने हमला किया क्या वे समूह में थे?
- 15. दर्ज FIR: हमलावरों के द्वारा और/या पीड़ित के द्वारा।
- 16. किस धारा के तहत।
- 17. FIR संख्या
- 18. कोई जवाबी FIR
- 19. हिरासत रिपोर्ट: (हवालात में/जेल में/ जमानत दी गई)
- 20. स्थानीय प्लिस थाना

FIR सूचना

क्रम	घटना का	पुलिस थाना	FIR संख्या	अपराध	संक्षिप्त विवरण
संख्या	स्थान				



पर्चा: सूचना एकत्र करने के लिए दिशानिर्देश

साक्षात्कार (इंटरव्यू) से पहले की तैयारी

- 1. साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है?
- 2. आप जो प्रश्न पूछेंगे उनकी पहचान करें:
 - i. कौन सी चीज़ आपको परिस्थिति का संदर्भ समझने में सहायता करेगी
 - ii. कुछ प्रश्न खुले-सिरे के प्रश्न हो सकते हैं (जैसे: क्या आपने पहले भी इसी तरह के हनन का अनुभव किया है?) या विशिष्ट (जैसे, क्या आप हमले में शामिल विशिष्ट लोगों की पहचान कर सकते हैं?)
- 3. साक्षात्कार हेतु व्यक्तियों की पहचान करें: व्यक्तियों को आमने-सामने बिठाना महत्वपूर्ण होता है, जहाँ सम्भव हो उन महिलाओं को शामिल करने की कोशिश करें जिनका साक्षात्कार लिया जा सकता है।
- 4. साक्षात्कार की सामग्रियाँ:
 - i. नोटबुक्स
 - ii. यदि आप वॉयस रिकॉर्डर या कैमरा का उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग से पहले अन्मति लें।
- 5. साक्षात्कार स्थल: कृपया स्थान का चुनाव करते समय पीड़ितों और दल की सुरक्षा का ध्यान रखें और साथ ही व्यवहारिक चिंताओं का भी, जैसे सत्र के समय।
- 6. आचरण कौशल:
 - i. पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीड़ित अक्सर अत्यधिक मानसिक आघात का अनुभव करते हैं। उन्हें फिर से उस अनुभव को जीने के लिए कहना मानसिक आघात को बढ़ा सकता है। साक्षात्कर्ता पर उनका भरोसा बढ़ाते हुए, प्रश्नों को सावधानी से पूछा जाना चाहिए। हमें यह आश्वासन देना चाहिए कि उन्हें जब कभी साक्षात्कार को रोकने की जरूरत महसूस हो तो उसे किसी भी समय रोका जा सके।

- मंशानीय संस्कृति के प्रति संवेदनशीलताः स्थानीय संस्कृति पर ध्यान दें और जैसा उचित हो, सम्मान और आदर प्रकट करें। अपनी वेशभूषा और भाषा के बारे में सोचें और साथ ही इस बारे में भी कि आप साक्षात्कार करते समय अपनी और कितना ध्यान आकर्षित करते हैं।
- iii. यौन हिंसा के प्रति संवेदनशीलताः एक महिला या समुदाय के विरूद्ध यौन हिंसा के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते समय, सुनिश्चित करें कि साक्षात्कर्ता महिला हो और प्रश्नों को सम्माननीय ढंग से पूछा जाए।
- iv. क्षमता से अधिक वचन न दें: अधिकांश पीड़ित आशा करते हैं कि साक्षात्कार का परिणामस्वरूप उनके ओर से तत्काल कार्यवाही हो। सावधानीपूर्वक साक्षात्कार के उद्देश्य और उन कार्यों की व्याख्या करें जिन्हें आप साक्षात्कार के बाद करने की उम्मीद करते हैं।

विषय के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न:

गिरफ्तारी

- 1. गिरफ़्तारी की प्रक्रिया क्या थी?
- 2. क्या आपको प्लिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्हें संदेह था कि आपने अपराध किया?
- 3. क्या प्लिस ने आपको बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के रूप में आपके क्या-क्या अधिकार हैं?
- 4. क्या प्लिस ने आपको बताया कि आप को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा था?

विचार और मेल-जोल की स्वतंत्रता

- क्या व्यक्तियों, समूहों, सरकार या सेना ने आपको अपने विचारों को व्यक्त करने और उन्हें अन्य लोगों के साथ साझा करने से रोकने का प्रयास किया है?
- 2. क्या आपको अपनी आस्थाओं, कथनों के कारण गिरफ्तार, प्रताड़ित या परेशान किया गया है, या इसलिए कि आप अन्य लोगों से बात करते हैं?
- 3. क्या पुस्तकें, पर्चे, पत्रिकाएं, समाचार पत्र या रेडियो छीने गए हैं?
- 4. क्या आपको समूहों में मिलने और उन विषयों पर चर्चा करने से रोका गया है जो सरकार को पसंद नहीं है?
- 5. क्या आपको अपने विचारों के बारे में सिखाने से रोका गया है?

आवागमन की स्वतंत्रता

- 1. क्या आपको स्थानों पर जाने या स्रक्षापूर्वक घर लौटने से रोका गया है?
- 2. क्या आपको बिना अपराध के आरोप के पुलिस या सेना द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है?
- 3. क्या आपको यात्रा से इसलिए रोका गया है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आप अपने घर से बाहर निकलें?

सभा

- 1. क्या सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों से मिलने के आपके अधिकारों का हनन किया गया है?
- 2. यदि लोगों का एक समूह सार्वजनिक स्थान पर मिलता है तो क्या होता है?
- 3. क्या कभी सार्वजनिक स्थान पर शांतिपूर्ण सभा के लिए आपको चोट पह्ंचाई गई है या गिरफ्तार किया गया है?

आर्थिक अधिकार

- 1. क्या लोगों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है?
- 2. क्या लोगों को कार्य करने और जीविका कमाने से रोका जा रहा है?
- 3. क्या लोगों को अपनी और अपने परिवार की सहायता करने से रोका गया है?

सामाजिक अधिकार

- 1. क्या लोगों को जिससे वे शादी करना चाहते हैं और जब भी शादी करना चाहते हैं इससे रोका गया है?
- 2. क्या लोगों की इच्छा के विरुद्ध परिवारों को तोड़ा जा रहा है?
- 3. क्या बच्चों को हानिकारक ढंग से काम करने के लिए मजबूर किया गया है?
- 4. क्या बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोका जा रहा है?
- 5. क्या जीवनशैली की रक्षा करने के बुनियादी अधिकार का हनन किया जा रहा है?
- 6. क्या लोगों की इच्छा के विरुद्ध उनके घरों को स्थानांतरित या क्षतिग्रस्त किया जा रहा है?

सांस्कृतिक अधिकार

क्या लोगों (व्यक्तियों या समूहों) को अपनी संस्कृति (जैसे मूल्य, विश्वास, भाषा, कला और विज्ञान, परंपरा,
 समाज, जीवन पद्धिति) का पालन करने से रोका जा रहा है?

बाल अधिकार

- 1. क्या बच्चे को उसके परिवार से छीन लिया गया है?
- 2. क्या बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने से रोका गया है?
- 3. क्या बच्चे/बच्ची को ऐसा कार्य करने को विवश किया गया है जो उसके लिए खतरनाक या हानिकारक है?